

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 अगस्त 2012—श्रावण 12, शक 1934

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2012

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2012

क्र. फा. 3 (बी)6-2011-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 19), राज्य शासन, श्री मनोज कुमार भाटी पुत्र श्री संतोष भाटी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल है. उसकी जन्मतिथि 22 दिसम्बर, 1986 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

फा. क्र. 17(ई)-2005-2008-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष लंबित रिट अपील क्रमांक 692/09, श्री बसंत कुमार नाग, नोटरी एवं अधिवक्ता विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में, पारित अंतरिम आदेश दिनांक 31 अगस्त, 2009 के अनुपालन में, इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 20 जून 2012 को निरस्त करता है. श्री बसंत कुमार नाग, नोटरी तहसील लखनादौन, जिला सिवनी में नोटरी व्यवसाय आगामी आदेश होने तक, करने हेतु अधिकृत रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनिल वर्मा, सचिव.

## उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2012

क्र. 6-7-2011-अट्टावन.—राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत केला फसल वर्ष 2012-13 के लिए संलग्न सूची अनुसार मौसम खरीफ हेतु प्रस्तावित (क्षेत्र) तहसील स्तर पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
टी. आर. काटवाले, अवर सचिव.

### राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 मौसम खरीफ हेतु प्रस्तावित (क्षेत्र) तहसीलें

#### फसल केला

स. क्र.	जिला	तहसीलें
(1)	(2)	(3)
1	बुरहानपुर	बुरहानपुर खकनार नेपानगर

## किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2012

क्र. डी-15-16-2012(चौदह)-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 19 सन् 1960) की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी 1969 द्वारा शिवपुरी जिले की करेरा तहसील के क्षेत्र में जो इसमें इसके पश्चात् “उक्त मंडी क्षेत्र” के नाम से निर्दिष्ट है, उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था।

और, चूंकि, “उक्त मंडी क्षेत्र” में से नीचे दी गई अनुसूची में स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है), को अपवर्जित करके उक्त मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (एक)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा “उक्त मंडी क्षेत्र” में “उक्त क्षेत्र” को अपवर्जित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करके अपने आशय को संज्ञापित करती है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना का “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा :—

### अनुसूची

1. बड़गौर, 2. छिडौरी, 3. पांचौर, 4. सडीहाखुर्द, 5. सडीहाबुजुर्ग, 6. निकारा, 7. बिरी, 8. लमकना, 9. रावखुर्द, 10. पनउआ, 11. कलोथरा सानी, 12. बिल्हारी कलां, 13. बिल्हारी खुर्द, 14. रावबुजुर्ग, 15. भडोरा, 16. तोरसनाई, 17. सनाई, 18. भासड़ाखुर्द, 19. सहदौरा, 20. गोधारी, 21. टकाकला, 22. भांसड़ाकला, 23. दबरी पमारी, 24. जनौरी, 25. छिरैटा, 26. जगदौरा, 27. पुष्कर, 28. मउ.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2012

क्र. डी-15-16-2012(चौदह)-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 जुलाई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 19th July 2012

No. D-15-16-2012-XIV-3.—WHEREAS, by this department's Notification even dated 10th February 1969 issued under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960), the State Government regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the market area of Krishi Upaj Mandi committee Karera of District

Shivpuri (hereinafter referred to as the "said market area").

AND, WHEREAS, it is now proposed to alter the limits of the said market area by excluding therefrom the area comprising of following schedule of villages situated in Karera Tehsil of District Shivpuri, (hereinafter referred to as the "said area")

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby signifies its intention to alter the limits of the said market area by excluding therefrom at the "said area" from the "said market area" (herein after to as the "said area.")

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government:—

#### SCHEDULE

1. Badgaour, 2. Chhidouri, 3. Panchour,
4. Sadihakhurd, 5. Sadihabajurg, 6. Nikara,
7. Biri, 8. Lamkna, 9. Raokhurd, 10. Panoua,
11. Kalothra Sani, 12. Bilahari Kala,
13. Bilharikhurd, 14. Haobugurg, 15. Bhadora,
16. Torsanai, 17. Sanai, 18. Bhasadrakhurd,
19. Shahdoura, 20. Godhari, 21. Takakla,
22. Bhasdakla, 23. Davripamari, 24. Janouri,
25. Chhireita, 26. Jagdoura, 27. Puskar,
28. Mau.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2012

क्र. डी-15-16-2012(चौदह)-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 19 सन् 1960) की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 मार्च 1964 द्वारा दतिया जिले की कृषि उपज मंडी समिति दतिया के

क्षेत्र में जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मंडी क्षेत्र" के नाम से विनिर्दिष्ट है, उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था.

और, चूंकि, उक्त मंडी क्षेत्र में नीचे दी गई अनुसूची में स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है), को सम्मिलित करके उक्त मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा "उक्त मंडी क्षेत्र" में "उक्त क्षेत्र" को सम्मिलित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा :—

#### अनुसूची

1. बड़गौर, 2. छिडौरी, 3. पांचौर, 4. सडीहाखुर्द, 5. सडीहाबुजुर्ग,
6. निकारा, 7. बिरी, 8. लमकना, 9. रावखुर्द,
10. पनउआ, 11. कलोथरा सानी, 12. बिल्हारी कलां,
13. बिल्हारी खुर्द, 14. रावबुजुर्ग, 15. भडोरा,
16. तोरसनाई, 17. सनाई, 18. भासड़ाखुर्द, 19. सहदौरा,
20. गोधारी, 21. टकाकला, 22. भांसड़ाकला, 23. दबरी पमारी,
24. जनौरी, 25. छिरैटा, 26. जगदौरा, 27. पुष्कर,
28. मउ.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2012

क्र. डी-15-16-2012(चौदह)-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 जुलाई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 19th July 2012

No. D-15-16-2012-XIV-3.—WHEREAS, by this department's Notification even dated 26th March 1964 issued under the provisions of sub-section (3) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960), the State Government regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the market area of Krishi Upaj Mandi commettee Datiya of District Datiya (hereinafter referred to as the "said market area").

AND, WHEREAS, it is now proposed to alter the limits of the said market area by including within the area comprising of following schedule of villages situated in Datiya Tehsil of District Datiya (hereinafter referred to as the "said area")

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of sub section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by signifies its intention to alter the limits of the said market area by excluding therefrom at the "said area" from the "said market area" (here in after to as the "said area.")

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Mahdya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government:—

#### SCHEDULE

1. Badgaour, 2. Chhidouri, 3. Panchour,
4. Sadihakhurd, 5. Sadihabajurg, 6. Nikara,
7. Biri, 8. Lamkna, 9. Raokhurd, 10. Panoua,
11. Kalothra Sani, 12. Bilahari Kala,
13. Bilharikhurd, 14. Haobugurg, 15. Bhadora,
16. Torsanai, 17. Sanai, 18. Bhasadrakhurd,
19. Shahdoura, 20. Godhari, 21. Takakla,
22. Bhasdakla, 23. Davripamari, 24. Janouri,
25. Chhireita, 26. Jagdoura, 27. Puskar,
28. Mau.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2012

क्र. डी-15-17-2012(चौदह)-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज का क्रय-विक्रय करने के लिये रायसेन जिले की तहसील सिलवानी में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिये तहसील सिलवानी में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2012

क्र. डी-15-2012(चौदह)-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 जुलाई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 19th July 2012

No. D-15-17-2012-XIV-3.—WHEREAS, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, (No. 24 of 1973) the State Government hereby declares its intention to establish a market at Tehsil Silwani for regulating the purchase and sale of agricultral produce mentioned in the schedule of the said Act, including all revenue and forest villages of the area of Tehsil Silwani of Raisen district.

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Mahdya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development

Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2012

क्र. डी-15-17-2012(चौदह)-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना डी-6-42-78-चौदह-3, दिनांक 22 जून 1978 द्वारा रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील के क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मंडी क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है) उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था.

और, चूंकि, उक्त मंडी क्षेत्र में से तहसील सिलवानी के समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है) को विपाटित करके "उक्त मंडी क्षेत्र" की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा "उक्त मंडी क्षेत्र" में "उक्त क्षेत्र" को विपाटित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह के कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2012

क्र. डी-15-17-2012(चौदह)-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 जुलाई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 19th July 2012

No. D-15-2012-XIV-3.—WHEREAS, by this department's Notification No. D-6-42-78-14-3 dated 22 June 1978 issued under the Section 3 of sub-section (1) of the Madhya Pradesh Agricultural produce market Act, 1972 (No. 24 of 1973) the state Government regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said notification in the area of Gairatganj Tehsil of Raisen District (here in after referred to as the "said market area").

AND, WHEREAS, it is now proposed to alter the limits of the said market area by split up here with the area comprising of Silwani Tehsil of Raisen District. (here in after referred to as the "said area").

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by signifies its intention to alter the limit of the said market area by splitting up as per the "said area".

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 14 जून 2012

क्र. बा.श्र.-2012.—बंधक श्रम तथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 (क्र. 19 सन् 1976) की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ-1-1-93-समन्वय, दिनांक 21 मार्च 1997 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, कलेक्टर, जबलपुर द्वारा जिला स्तर के लिए पूर्व में गठित जिला सतर्कता समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है:—

- |  |   |
|--|---|
| 1. अध्यक्ष   | अपर कलेक्टर   |
| 2. अनु. जाति/जनजाति जिला के (तीन सदस्य)              | 1. श्री ए. के. नायक, 1035 आशा काम्पलेक्स, बंगाली कालोनी, रांझी, जबलपुर.<br>2. श्रीमती सुनीता दाहिया, ग्राम छेड़ी पोस्ट बड़ौदा, तहसील पाटन, जबलपुर.<br>3. श्री राजकुमार भूमिया, ग्राम डुडवारा (खुलरी) पोस्ट गंगई, थाना, थाना चरगवां, जबलपुर. |
| 3. सामाजिक कार्यकर्ता (दो सदस्य)                     | 1. श्रीमती लता सिंह, गांधी स्टूडियो, मन्मूलन अस्तपताल के सामने, दीक्षितपुरा, जबलपुर.<br>2. श्री चक्रवर्ती, एन. प्लांट नं. 55-, गुरुदेव कालोनी, बेदीनगर, जबलपुर.   |
| 4. राज्य शासन द्वारा मनोनीत शासकीय (तीन सदस्य).      | 1. पुलिस अधीक्षक, जबलपुर<br>2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर.<br>3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति विकास, जबलपुर.   |
| 5. वित्तीय एवं ऋण स्थापनाओं के प्रतिनिधि (एक सदस्य). | प्रबंधक, लीड बैंक, जबलपुर   |

राजस्व विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ-1-1-93-समन्वय, दिनांक 21 मार्च 1997 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, कलेक्टर, जबलपुर द्वारा जिला स्तर के लिए पूर्व में गठित उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है:—

### उपखण्ड जबलपुर

- |  |   |
|--|---|
| 1. अध्यक्ष                                       | 1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जबलपुर.   |
| 2. अनु. जाति/जनजाति जिला के (तीन सदस्य)          | 1. श्रीमती निर्मला मरावी, जिला पंचायत सदस्य, बरगी.<br>2. श्रीमती उर्मिला झारिया, सदस्य जनपद पंचायत, जबलपुर.<br>3. श्रीमती गोमती मरावी, सदस्य जनपद पंचायत, जबलपुर. |
| 3. सामाजिक कार्यकर्ता (दो सदस्य)                 | 1. श्री रामनरेश तिवारी, फूटाताल, पनागर, जबलपुर.<br>2. श्री पंचम पटेल, ग्राम सुहागी, पनागर, जबलपुर.  |
| 4. शासकीय/अशासकीय दो सदस्य.                      | 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जबलपुर.<br>2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पनागर.   |
| 5. वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं के प्रतिनिधि एक सदस्य | 1. शाखा प्रबंधक जिला भूमि विकास बैंक, मर्या. पनागर.   |
| 6. धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी.      | 1. तहसीलदार, जबलपुर   |

### उपखण्ड कुण्डम

- |   |   |
|---|---|
| 1. अध्यक्ष                              | 1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जबलपुर.   |
| 2. अनु. जाति/जनजाति जिला के (तीन सदस्य) | 1. श्री खिलाड़ी सिंह आर्मी, सदस्य, जिला पंचायत, जबलपुर.<br>2. श्रीमती जमुना मरावी, सदस्य जिला पंचायत, जबलपुर.<br>3. श्रीमती मायाबाई, सदस्य जनपद पंचायत. |

क्र. बा.श्र.-2012.—बंधक श्रम तथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 (क्र. 19 सन् 1976) की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन,

3. सामाजिक कार्यकर्ता (दो सदस्य)	1. श्री कमलेश साहू, ग्राम-कुण्डम. 2. श्री नारायण चनपुरिया, बघराजी.	5. वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं के प्रतिनिधि (एक सदस्य). 6. धारा 10 के अन्तर्गत वनिर्दिष्ट अधिकारी.	1. शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक, सिहोरा. 1. तहसीलदार, सिहोरा पदनाम से.
4. शासकीय/अशासकीय (दो सदस्य).	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कुण्डम. 2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कुण्डम.	उपखण्ड पाटन 1. अध्यक्ष 2. अनु. जाति/जनजाति जिला के (तीन सदस्य) जबलपुर	1. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), पाटन. 1. श्री नेतराम ठाकुर, थाना सदस्य, जनपद पंचायत, पाटन. 2. श्रीमती उमाबाई ठाकुर ग्वारी सदस्य जनपद पंचायत, पाटन. 3. श्री शंकरलाल गोंड, सदस्य जनपद पंचायत, ग्राम मड़िया, ग्राम पंचायत भिड़की, तह. शहपुरा.
5. वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं के प्रतिनिधि (एक सदस्य).	1. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, कुण्डम.		
6. धारा 10 के अन्तर्गत वनिर्दिष्ट अधिकारी.	1. तहसीलदार, कुण्डम.		
<b>उपखण्ड सिहोरा</b>			
1. अध्यक्ष	1. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), सिहोरा.		
2. अनु. जाति/जनजाति जिला के (तीन सदस्य) जबलपुर.	1. श्रीमती उर्मिला दाहिया, ज.पं. अध्यक्ष, मझौली. 2. श्री बिहारीलाल दाहिया, ग्राम बेला. 3. श्री अनिल चौधरी, ग्रा. पो. कछपुरा, सिहोरा.	3. सामाजिक कार्यकर्ता (दो सदस्य) 4. शासकीय/अशासकीय (दो सदस्य).	1. श्री बालचंद जैन, प्रतिनिधि, पाटन. 2. श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर, पाटन. 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पाटन. 2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन. 3. श्री गजेन्द्र सिंह, पाटन.
3. सामाजिक कार्यकर्ता (दो सदस्य)	1. श्रीमती अंजना सराफ, वार्ड नं. 6, सिहोरा. 2. श्री संजय खरया, उपसरपंच पंचायत, ग्राम-तलाड़, पोस्ट-पौड़ा, सिहोरा.	5. वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं के प्रतिनिधि (एक सदस्य). 6. धारा 10 के अन्तर्गत वनिर्दिष्ट अधिकारी.	1. श्री बी.बी. रावत, प्रबंधक, यूनियन बैंक, पाटन. 1. तहसीलदार, पाटन 2. तहसीलदार, शहपुरा.
4. शासकीय/अशासकीय (दो सदस्य).	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मझौली. 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सिहोरा.		

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2012

क्र. 5683-2183-अका-विपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र-प्रथम प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम पदनाम  
(1) (2) (3)

**इन्दौर संभाग**

1	श्री अजय सागर	वन क्षेत्रपाल
2	श्री विजय सिंह मौर्य	वन क्षेत्रपाल
3	श्री रमेश कुमार मरकाम	वन क्षेत्रपाल
4	कु. आकांक्षा खातरकर	वन क्षेत्रपाल
5	कु. श्यामलता मेरावी	वन क्षेत्रपाल
6	श्री सरदार सिंह चौहान	वन क्षेत्रपाल
7	श्री शिव प्रसाद धुर्वे	वन क्षेत्रपाल

**रीवा संभाग**

8	श्री राजेश कुमार निनामा	वन क्षेत्रपाल
---	-------------------------	---------------

**शहडोल संभाग**

9	श्रीमती संगीता सिंह	वन क्षेत्रपाल
10	श्री मनोज कुमार वास्कले	वन क्षेत्रपाल
11	श्री राजेन्द्र सिंह नरगेश	वन क्षेत्रपाल
12	श्री अनिल कुमार नेती	वन क्षेत्रपाल
13	श्री दिनेश कुमार जमरे	वन क्षेत्रपाल
14	श्री संजय साल्वे	वन क्षेत्रपाल
15	श्री जालम सिंह धावें	वन क्षेत्रपाल
16	श्री संतोषिया मरावी	वन क्षेत्रपाल
17	श्री अनूप धुर्वे	वन क्षेत्रपाल
18	श्री मोहनदास मानिकपुरी	वन क्षेत्रपाल
19	कु. प्रीति शाक्य	वन क्षेत्रपाल
20	श्री सुनील कुमार पन्द्रे	वन क्षेत्रपाल
21	श्री विक्रम सुल्या	वन क्षेत्रपाल

(1) (2) (3)

**जबलपुर संभाग**

22	सुश्री शैलजा ठाकुर जागेत	वन क्षेत्रपाल
23	श्री संदीप रावत	वन क्षेत्रपाल
24	श्री गुलाब सिंह निगंवाल	वन क्षेत्रपाल
25	सुश्री मनीषा वाघाड़े	वन क्षेत्रपाल
26	कु. अलका भुरिया	वन क्षेत्रपाल
27	श्री सुनील सुलिया	वन क्षेत्रपाल
28	श्री बसंत कुमार वरकड़े	वन क्षेत्रपाल
29	कु. कीर्ति मरकाम	वन क्षेत्रपाल
30	कु. अभिश्वेता रावत	वन क्षेत्रपाल
31	कु. अंशु एलिस	वन क्षेत्रपाल
32	श्री एम. एल. बरकड़े	वन क्षेत्रपाल
33	श्री मनमोहन सिंह जाटव	वन क्षेत्रपाल
34	श्री एल्बिन बर्मन	वन क्षेत्रपाल
35	श्री सुरेश कुमार कुशरे	वन क्षेत्रपाल
36	श्री जितेन्द्र अवासे	वन क्षेत्रपाल
37	श्री उत्तमसिंह सस्त्या	वन क्षेत्रपाल
38	श्री सुरेन्द्र सिंह जाटव	वन क्षेत्रपाल
39	श्री राकेश कुमार अड़कने	वन क्षेत्रपाल
40	श्री देवेश खराडी	वन क्षेत्रपाल
41	श्री यशपाल मेहरा	वन क्षेत्रपाल
42	श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी	वन क्षेत्रपाल
43	श्री इन्दर सिंह बारे	वन क्षेत्रपाल
44	कु. सीता भलावी	वन क्षेत्रपाल
45	श्री जुलियस पिपलाद	वन क्षेत्रपाल
46	श्री राजेश चौहान	वन क्षेत्रपाल
47	श्री मुकेश अलावा	वन क्षेत्रपाल
48	श्री सुनील कुमार	वन क्षेत्रपाल
49	श्री शीलेन्द्र कुमार उईके	वन क्षेत्रपाल
50	श्री धरमसिंह सोलंकी	वन क्षेत्रपाल
51	श्री हेमेन्द्र सिंह सोलंकी	वन क्षेत्रपाल
52	श्री हृदयलाल सिंह	वन क्षेत्रपाल
53	श्री इन्द्र सिंह धाकड़	वन क्षेत्रपाल
54	श्री कुलदीप राजौदिया	वन क्षेत्रपाल
55	श्री अशोक कुमार गौतम	वन क्षेत्रपाल
56	श्री सीताराम नगेश	वन क्षेत्रपाल
57	श्री गुलाब सिंह बर्डे	वन क्षेत्रपाल
58	श्री रामनरेश लोहार	वन क्षेत्रपाल

**ग्वालियर संभाग**

59	श्री राजेन्द्र सिंह सौलकी	वन क्षेत्रपाल
60	श्री देवेन्द्र कुमार अहिरवार	वन क्षेत्रपाल
61	श्री अरविन्द कुमार केन	वन क्षेत्रपाल



(1) (2) (3)

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2012

62 श्री नरेन्द्र कुमार रवि वन क्षेत्रपाल  
63 श्री विनोद सिंह वन क्षेत्रपाल

**सागर संभाग**

64 श्री संतोष मर्सकोले वन क्षेत्रपाल  
65 कु. उर्मिला मरकाम वन क्षेत्रपाल  
66 श्री नरेन्द्र सिंह परिहार वन क्षेत्रपाल  
67 कु. बेती मरावी वन क्षेत्रपाल  
68 कु. मंजु उईके वन क्षेत्रपाल  
69 कु. शोभना वर्मा वन क्षेत्रपाल

**भोपाल संभाग**

70 श्री माधुसिंह सिसोदिया वन क्षेत्रपाल  
71 श्री मुकेश कुमार मेरावी वन क्षेत्रपाल  
72 श्री राम कुमार वन क्षेत्रपाल  
73 कु. संगीता रावत वन क्षेत्रपाल  
74 श्री वीरेन्द्र कुमार वन क्षेत्रपाल  
75 श्री जयकुमार धुर्वे वन क्षेत्रपाल  
76 श्रीमती प्रीति ककोड़िया वन क्षेत्रपाल  
77 श्रीमती दीपिका मिंज वन क्षेत्रपाल  
78 श्री धीरेन्द्र सिंह वन क्षेत्रपाल  
79 श्री अभय सिंह भुरिया वन क्षेत्रपाल  
80 कु. माधुरी वाड़िया वन क्षेत्रपाल  
81 कु. पायल राजावत वन क्षेत्रपाल  
82 श्री रामकृष्ण सिंह चौधरी वन क्षेत्रपाल  
83 श्री श्याम सिंह चौहान वन क्षेत्रपाल  
84 श्री मुकेश कुमार डुडवे वन क्षेत्रपाल

**होशंगाबाद संभाग**

85 कु. पुष्पलता मौर्य वन क्षेत्रपाल  
86 श्रीमती रिकी आर्य वन क्षेत्रपाल  
87 श्रीमती विनीता जाटव वन क्षेत्रपाल  
88 श्रीमती सुकृति औसवाल वन क्षेत्रपाल  
89 श्री दिनेश कुमार मौर्य वन क्षेत्रपाल  
90 श्री आशीष कुमार खोब्रागड़े वन क्षेत्रपाल  
91 श्री सुनील कुमार अशोक वन क्षेत्रपाल  
92 श्री अमित खन्ना वन क्षेत्रपाल  
93 श्री पंकज चौहान वन क्षेत्रपाल  
94 श्री सिद्धार्थ दीपंकर वन क्षेत्रपाल  
95 श्री हेमराज वट वन क्षेत्रपाल  
96 कु. मोनिका मण्डलोई वन क्षेत्रपाल  
97 कु. श्रीतिबाला ठाकुर वन क्षेत्रपाल  
98 कु. वंदना भलावी वन क्षेत्रपाल

क्र. 5727-2200-अका-विपप्र-2012-संशोधन.—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र-सामान्य विधि द्वितीय (पुस्तकों सहित) जो वन विभाग के अधिकारियों के लिये था, जिसकी अधिसूचना क्रमांक 4876-2200-अका-विपप्र-2012, दिनांक 19 जून 2012 को जारी की गई थी, में श्री टी. एस. उईके, सहायक वन संरक्षक, जबलपुर संभाग में सम्मिलित हुए को उत्तीर्ण माना जाए,

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2012

क्र. 5831-2199-अका-विपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया-भाग बी एवं सी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम		पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

**होशंगाबाद संभाग**

1	श्री दीपक कुमार वैद्य	डिप्टी कलेक्टर
---	-----------------------	----------------

**इन्दौर संभाग**

2	श्रीमती वंदना शिन्दे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
3	कु. रेशम गवली	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
4	कु. श्वेता जमरा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

**जबलपुर संभाग**

5	श्रीमती मंजूला महोबिया	राजस्व निरीक्षक
---	------------------------	-----------------

निम्नस्तर

**होशंगाबाद संभाग**

1	श्री देव शंकर धुर्वे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
---	----------------------	---------------------------

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
<b>सागर संभाग</b>			<b>इन्दौर संभाग</b>		
2	श्री घनश्याम प्रसाद चौधरी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	29	श्री कैलाश सिसौदिया	राजस्व निरीक्षक
<b>भोपाल संभाग</b>			30	श्री संतोष पाराशर	राजस्व निरीक्षक
3	श्री गोविन्द सिंह यादव	राजस्व निरीक्षक	31	श्री नरेश बिबलकर	राजस्व निरीक्षक
4	श्री मोतीलाल पंथी	राजस्व निरीक्षक	32	श्री रजान सस्तियन	राजस्व निरीक्षक
5	श्री शिवराम चढार	राजस्व निरीक्षक	33	श्री वसंत कुमार बरवानिया	राजस्व निरीक्षक
6	श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव	डिप्टी कलेक्टर	34	श्री विनोद कुमार यादव	राजस्व निरीक्षक
7	श्री श्यामसिंह तारे	राजस्व निरीक्षक	35	श्री हुकूम सिंह निगंवाल	राजस्व निरीक्षक
8	श्री मोतीलाल जाटव	राजस्व निरीक्षक	36	श्री सुरेशचन्द्र सक्सेना	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
<b>ग्वालियर संभाग</b>			37	श्री पवन कुमार वास्कले	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
9	श्री भगवती शरण शिल्पकार	राजस्व निरीक्षक	38	श्री योगेश मलतारे	राजस्व निरीक्षक
10	श्री श्याम सुन्दर सिंह सराहिया	राजस्व निरीक्षक	39	श्री पूनमसिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
11	श्री नरेश कुमार रायपुरिया	राजस्व निरीक्षक	40	श्री आर.सी. मण्डलोई	अधीक्षक
12	श्रीमती लक्ष्मी सोलंकी	राजस्व निरीक्षक	<b>जबलपुर संभाग</b>		
13	श्रीमती मनीषा मिश्रा	राजस्व निरीक्षक	41	श्री रामप्रसाद मार्को	राजस्व निरीक्षक
14	सुश्री काजल दीक्षित	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	42	श्री ओमप्रकाश सनोडिया	डिप्टी कलेक्टर
15	श्री अशोक भारती	राजस्व निरीक्षक	43	श्री रतन सिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
16	श्री दिनेश कुमार व्यास	राजस्व निरीक्षक	44	श्री तेजीलाल उईके	राजस्व निरीक्षक
17	श्री घनश्याम शर्मा	राजस्व निरीक्षक	45	श्री लोकमन कोरी	राजस्व निरीक्षक
18	श्री हरिशचन्द्र माहौर	राजस्व निरीक्षक	46	कु. निधि मार्को	राजस्व निरीक्षक
19	श्री विनोद सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक	47	श्री दीपक कुमार मेश्राम	राजस्व निरीक्षक
20	श्री लज्जाराम राजौरिया	राजस्व निरीक्षक	48	श्रीमती मर्यादा बागड़े	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
21	कु. नीलम जैन	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	49	श्री ज्ञानचंद राय	राजस्व निरीक्षक
22	श्री प्रज्ञेश पचौरी	राजस्व निरीक्षक	50	श्री राजकुमार उईके	राजस्व निरीक्षक
23	श्री संजय चौरसिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	51	श्री नरेन्द्र रानवीर	राजस्व निरीक्षक
24	श्री बलराम दोहरे	राजस्व निरीक्षक	52	श्रीमती दुर्गा पटले	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
25	श्री दिनानाथ किरार	राजस्व निरीक्षक	53	श्री देवेन्द्र कुमार सिगौर	राजस्व निरीक्षक
26	श्री राम नारायण सिंह	राजस्व निरीक्षक	54	श्री रामकैलाश कौल	राजस्व निरीक्षक
<b>रीवा संभाग</b>			55	श्री रतनसिंह कुर्वेती	राजस्व निरीक्षक
27	श्री शैलेन्द्र सिंह	डिप्टी कलेक्टर	56	श्री अमृतलाल धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
<b>उज्जैन संभाग</b>			मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.		
28	श्री हरिशंकर नामदेव	राजस्व निरीक्षक			

## श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

## मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल दिनांक 25 जुलाई 2012

अधिसूचना क्र. भसंकम-12-962.—भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्वारा पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना क्र. भसंकम-योजना-01-2010 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 13 अगस्त 2010) को अधिक्रमित करते हुए, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना, 2012 मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात् मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से अधिसूचित करता है।

(क) **संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना.**—(1) यह योजना मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना, 2012 कहलाएगी.

- (2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी.
- (3) यह योजना मध्यप्रदेश राज्यपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी.
- (4) यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी,

जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अन्तर्गत हिताधिकारी परिचय पत्रधारी हैं एवं 18 से 45 वर्ष की आयु के हैं अथवा परिचय पत्रधारी हिताधिकारी के 18 से 45 वर्ष की आयु के परिवार के आश्रित सदस्य हैं।

(ख) **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (1) अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 से अभिप्रेत है.
- (2) नियम का आशय मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2002.
- (3) बोर्ड या मण्डल से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से अभिप्रेत है.
- (4) सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है.
- (5) निर्माण श्रमिक/कर्मकार से आशय समस्त वैद्य परिचय-पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से अभिप्रेत है.
- (6) आश्रित से आशय पंजीकृत निर्माण श्रमिक के निम्नानुसार परिवार के सदस्य को आश्रित माना जाएगा—
  - (1) पत्नि अथवा पति (यथा स्थिति अनुसार).
  - (2) अविवाहित पुत्र अथवा पुत्री, जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष हो,
  - (3) आश्रित माता एवं पिता, जिनकी आयु 45 वर्ष से कम हो,
- (7) इस योजना में परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में, जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं.

(ग) **योजना का विवरण एवं पात्रता.**—(1) अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अन्तर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए यह योजना होगी, इस योजना का लाभ योजना के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले समस्त

परिचय-पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य होंगे जिनका चयन राज्य शासन के किसी विभाग अथवा एजेन्सी द्वारा संचालित अथवा अधिकृत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा कौशल विकास केन्द्र में कौशल प्रशिक्षण हेतु किया जाएगा।

(2) **पात्रता.**—18 से 45 वर्ष की आयु के वैद्य परिचय-पत्र धारी निर्माण श्रमिक एवं उनके परिवार के 18 से 45 वर्ष की आयु के आश्रित सदस्य योजना के लिए पात्र होंगे।

(घ) **चयन.**—(1) योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारियों का चयन राज्य शासन के किसी विभाग अथवा एजेन्सी द्वारा संचालित अथवा अधिकृत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा कौशल विकास केन्द्र द्वारा हिताधिकारी के द्वारा प्रस्तुत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन की आवश्यक जांच के पश्चात् निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पाये जाने पर आवेदक द्वारा प्रशिक्षण हेतु चयनित कौशल (SKILLS/TRADES) में से उसके दर्शाये क्रम (PREFERENCE) के अनुसार पात्रता के अनुरूप किया जाएगा।

(2) संबंधित संस्थान द्वारा चयन किये जाने पर आवश्यक पात्रता संबंधी परीक्षण के पश्चात् मण्डल के हिताधिकारियों की सूची मण्डल अथवा उसके द्वारा अधिकृत पदाभिहित अधिकारी को 15 दिवस में प्रेषित की जाएगी। जिनके द्वारा सूची प्राप्त होने के 15 दिवस में उपर्युक्त का अनुमोदन कर सूची संबंधित संस्थान, मण्डल एवं संबंधित जिले के श्रम कार्यालय प्रमुख को प्रेषित की जाएगी।

(ङ) **योजना.**—(1) योजना के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित कौशल विकास केन्द्रों में यदि पंजीकृत परिचय-पत्रधारी निर्माण श्रमिक अथवा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों का चयन होने पर उनकी संख्या संबंधित केन्द्र में उपलब्ध कुल सीटों की 50 प्रतिशत या अधिक होती है ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा कौशल विकास केन्द्रों के अधोसंरचना का निर्धारित व्यय एवं प्रशिक्षकों का निर्धारित व्यय वहन किया जाएगा। मण्डल के हिताधिकारियों का प्रशिक्षण एवं अन्य निर्धारित व्यय मण्डल द्वारा वहन किया जाएगा।

(2) **छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति.**—योजना के अन्तर्गत चयनित निर्माण कार्य में कार्यरत पंजीकृत निर्माण श्रमिक को प्रशिक्षण अवधि के दौरान श्रम विभाग द्वारा अकुशल निर्माण श्रमिक हेतु तत्समय प्रचलित न्यूनतम वेतन की दर से शिष्यवृत्ति/छात्रवृत्ति मण्डल की ओर से प्रदान की जाएगी। अन्य हिताधिकारियों को तत्समय संबंधित कौशल प्रशिक्षण हेतु निर्धारित दर से शिष्यवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। शिष्यवृत्ति/छात्रवृत्ति का भुगतान संबंधित कौशल विकास केन्द्र/संस्थान के माध्यम से उपस्थिति के सत्यापन के अनुपात में प्रशिक्षणार्थी को किया जाएगा।

(3) **शुल्क.**—संबंधित संस्थान को मण्डल के हिताधिकारी का चयन होने पर प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शुल्क की संपूर्ण राशि मण्डल द्वारा सीधे भुगतान की जाएगी।

(4) **अन्य भत्ते.**—योजना के अन्तर्गत चयनित हिताधिकारी को प्रशिक्षण की अवधि में राज्य शासन अथवा मण्डल द्वारा निर्धारित अन्य भत्ते जैसे—आवासीय भत्ता, भोजन भत्ता, परिवहन भत्ता, पोषाक भत्ता आदि समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अनुरूप मण्डल की ओर से देय होगा।

(5) **औजार भत्ता.**—प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले हिताधिकारी को राज्य शासन द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत औजार (टूलकिट) अथवा मशीन क्रय करने हेतु आवश्यक राशि अथवा टूलकिट अथवा मशीन निर्धारित शर्तों के अनुरूप प्रदान की जाएगी।

(6) **प्रमाण-पत्र.**—प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले हिताधिकारी को संबंधित संस्थान द्वारा वांछित प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा एवं इस प्रमाण-पत्र हेतु यदि कोई शुल्क निर्धारित है तो उसका भुगतान संबंधित संस्थान को मण्डल की ओर से किया जाएगा।

(7) **भुगतान एवं लेखा.**—कौशल विकास केन्द्र के संचालन में होने वाले व्यय एवं प्रशिक्षण में होने वाले संपूर्ण व्यय का हिताधिकारीवार विवरण संबंधित संस्थान अथवा विभाग अथवा एजेन्सी द्वारा मण्डल को हिताधिकारी के चयन के पश्चात् इस आशय की निर्धारित जानकारी सहित मण्डल द्वारा निर्धारित समय-सीमा में प्रेषित किया जाएगा कि प्रशिक्षणार्थी योजना के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता रखने वाला मण्डल का पंजीकृत वैद्य परिचय पत्र धारी हिताधिकारी अथवा उसके परिवार का आश्रित सदस्य है। उपर्युक्तानुसार प्राप्त जानकारी की वांछित जांच के पश्चात् मण्डल द्वारा भुगतान निर्धारित शर्तों के अनुसार संस्थान को किया जाएगा। संबंधित संस्थान अथवा विभाग अथवा एजेन्सी को निर्धारित प्रारूप में नियत अवधि में लेखे एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र मण्डल को प्रेषित करना होंगे। जिसके पश्चात् ही मण्डल द्वारा आगामी राशि/किश्त का भुगतान किया जा सकेगा।

(8) **पर्यवेक्षण.**—प्रशिक्षण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण समय-समय पर श्रम विभाग अथवा मण्डल द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा एवं आवश्यक सुझाव संबंधित संस्थान को दिये जा सकेंगे।

(च) **विसंगति का निवारण.**—योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

अजय नेमा, सचिव.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 10 जुलाई 2012

क्र. 2611-भू.अ.अ.-2011-12-प्र.क्र. 04-अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	सिलापरी	0.04	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड	हटा-फतेहपुर-रजपुरा-सिलापरी-
	बटियागढ़	हारट	0.43	डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,	बाजना-दरगुवां के मार्ग निर्माण
		योग . .	0.47	सागर	में आने वाली भूमि का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की, भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा एवं संभागीय प्रबंधक, म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्वतंत्र कुमार सिंह कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 10 जुलाई 2012

प्र. क्र. 21-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	बुड़कीखेरा	96.850	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ (म.प्र.)	बहादुरगढ़ तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

टीकमगढ़, दिनांक 12 जुलाई 2012

प्र. क्र. 1-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	नारायणपुर	18.800	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़	बहादुरगढ़ तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

प्र. क्र. 2-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	डूड़ाटौरा	97.160	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़	बहादुरगढ़ तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2012

प्र. क्र. 02-भू-अर्जन-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल खसरा क्रमांक अर्जित किया जाने वाले हैं		धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/तालुका	नगर/ग्राम	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	तहसील हुजूर, टी.टी. नगर, वृत्त भोपाल.	विशनखेड़ी गोरा गोरा गोरा गोरा गोरा गोरा	250/1/1क 234/1/2/3 236 234/1/2/1/1/2क 240, 241, 212, 244, 245, 290, 241/1 239/2/1/7 238/1/1, 238/1/2 238/2 238/3	0.80 एकड़ 0.07 एकड़ 0.58 एकड़ 0.27 एकड़ 0.02 एकड़ 0.26 एकड़ 0.57 एकड़ 0.17 एकड़ 0.06 एकड़	कार्यपाल यंत्री, लोक निर्माण विभाग संधारण क्रमांक-1, भोपाल	विशनखेड़ी से मिलेनियम कालेज वाया शूटिंग रेंज अकादमी मार्ग निर्माण.
			योग . .	2.80 एकड़		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं नजूल अधिकारी, तहसील हुजूर, टी.टी. नगर, वृत्त भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
जबलपुर, दिनांक 18 जुलाई 2012

क्र. 1-अ-82-12-13-भू.अ.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम		(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	मिड़की प.ह.नं.-39 नं.ब.-679	46.343	कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर, बायीं तट नहर, संभाग क्रमांक 2, बरगी हिल्स, जबलपुर	बरगी बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इकाई क्र. 1, बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2-अ-82-12-13-भू.अ.अ.-07.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	कठौतिया प.ह.नं.-39 नं.ब.-619	20.753	कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर, बायीं तट नहर, संभाग क्रमांक 2, बरगी हिल्स, जबलपुर.	बरगी बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इकाई क्र. 1, बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 20 जुलाई 2012

प्र. क्र. 140-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	अकला	निजी भूमि 13.913 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.500 <hr/> कुल रकबा 15.413	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना	सिरस्वाहा तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.



प्र. क्र. 143-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	बरियारपुर कुर्मियान	निजी भूमि 21.025 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.363 <hr/> कुल रकबा 22.388	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना	रानीपुर तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 144-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	भैरहा	निजी भूमि 44.650 एवं शासकीय भूमि रकबा 15.863 <hr/> कुल रकबा 60.513	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना	रानीपुर तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 145-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को

उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	कुलुवा	निजी भूमि 51.025 एवं शासकीय भूमि रकबा 18.313 <hr/> कुल रकबा 69.338	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना	देवरी तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 146-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	रनवाहा	निजी भूमि 51.163 एवं शासकीय भूमि रकबा 17.625 <hr/> कुल रकबा 68.788	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरी तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 147-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	देवरी	निजी भूमि 51.150 एवं शासकीय भूमि रकबा 19.313 <hr/> कुल रकबा 70.463	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरी तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 148-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	मुराछ	निजी भूमि 102.313 एवं शासकीय भूमि रकबा 39.313. <hr/> कुल रकबा 141.626	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरी तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 149-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	मलघन	निजी भूमि 67.791 एवं शासकीय भूमि रकबा 10.000 <hr/> कुल रकबा 77.791	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सिमरी तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 150-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	कठवरिया	निजी भूमि 18.375 एवं शासकीय भूमि रकबा 7.500 <hr/> कुल रकबा 25.875	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सिमरी तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 151-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	तुर्की ताल	निजी भूमि 71.436 एवं शासकीय भूमि रकबा 8.750 <hr/> कुल रकबा 80.186	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सिमरी तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 152-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	ककरा	निजी भूमि 24.144 एवं शासकीय भूमि रकबा 11.250 <hr/> कुल रकबा 35.394	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बिलहा तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 153-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	मडवा	निजी भूमि 32.564 एवं शासकीय भूमि रकबा 7.875 <hr/> कुल रकबा 40.439	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बिलहा तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 154-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	निवारी	निजी भूमि 35.000 एवं शासकीय भूमि रकबा 22.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	श्यामरडाडा तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.
			कुल रकबा 57.500		

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 155-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	श्यामरडाडा	निजी भूमि 7.688 एवं शासकीय भूमि रकबा 20.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	श्यामरडाडा तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.
			कुल रकबा 27.688		

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 156-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	धनोखर	निजी भूमि 32.638 एवं शासकीय भूमि रकबा 18.750	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	श्यामरडाडा तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.
			कुल रकबा 51.388		

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 157-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	मडिया	निजी भूमि 73.290 एवं शासकीय भूमि रकबा 11.250 <hr/> कुल रकबा 84.540	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	खम्हरिया तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 158-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	खम्हरिया	निजी भूमि 63.710 एवं शासकीय भूमि रकबा 13.750 <hr/> कुल रकबा 77.460	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	खम्हरिया तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 159-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	हथकुरी	निजी भूमि 85.688 एवं शासकीय भूमि रकबा 10.173 <hr/> कुल रकबा 95.861	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	हथकुरी तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 160-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	भरतला	निजी भूमि 64.763 एवं शासकीय भूमि रकबा 13.988 <hr/> कुल रकबा 78.751	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 161-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	बीजाखेड़ा	निजी भूमि 32.063 एवं शासकीय भूमि रकबा 2.625 <hr/> कुल रकबा 34.688	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 162-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	लमतरा	निजी भूमि 40.613 एवं शासकीय भूमि रकबा 11.250 <hr/> कुल रकबा 51.863	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 163-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	हरबंशपुरा	निजी भूमि 77.875 एवं शासकीय भूमि रकबा 18.750 <hr/> कुल रकबा 96.625	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 164-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	सिमरीखुर्द	निजी भूमि 46.875 एवं शासकीय भूमि रकबा 8.125 <hr/> कुल रकबा 55.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पटना तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 165-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	बरतला	निजी भूमि 94.063 एवं शासकीय भूमि रकबा 9.375 <hr/> कुल रकबा 103.438	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पटना तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.



प्र. क्र. 166-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	पटना	निजी भूमि 40.300 एवं शासकीय भूमि रकबा 10.000 <hr/> कुल रकबा 50.300	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पटना तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 167-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	पोसी	निजी भूमि 41.063 एवं शासकीय भूमि रकबा 40.313 <hr/> कुल रकबा 81.376	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पोसी तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 168-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	इमलिया	निजी भूमि 27.688 एवं शासकीय भूमि रकबा 47.850 <hr/> कुल रकबा 75.538	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	इमलिया तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 169-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	सलैया	निजी भूमि 3.225 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.738 <hr/> कुल रकबा 3.963	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रानीपुर तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 170-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	बरियारपुर कुर्मीयान.	निजी भूमि 2.250 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.325 <hr/> कुल रकबा 2.575	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रानीपुर तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 171-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	झिलमिला	निजी भूमि 0.825 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.563 <hr/> कुल रकबा 1.388	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	इमलिया तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 172-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	पिपरिया	निजी भूमि 1.000 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.688	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	इमलिया तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.
कुल रकबा 1.688					

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 173-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	इमलिया	निजी भूमि 2.475 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.625	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	इमलिया तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.
कुल रकबा 3.100					

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 174-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	तिदुनी	निजी भूमि 1.875 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.438	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पोसी तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.
कुल रकबा 2.313					

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 175-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	पोसी	निजी भूमि 2.850 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.513 <hr/> कुल रकबा 3.363	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पोसी तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 176-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	करिया	निजी भूमि 4.525 एवं शासकीय भूमि रकबा 11.438 <hr/> कुल रकबा 15.963	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पटना तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 177-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	पटना	निजी भूमि 6.725 एवं शासकीय भूमि रकबा 11.375 <hr/> कुल रकबा 18.100	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पटना तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 178-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	खमतरा	निजी भूमि 3.975 एवं शासकीय भूमि रकबा 2.375 <hr/> कुल रकबा 6.350	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 179-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	तिदुनी	निजी भूमि 4.500 एवं शासकीय भूमि रकबा 2.088 <hr/> कुल रकबा 6.588	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 180-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	शहपुरा	निजी भूमि 1.500 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.625 <hr/> कुल रकबा 3.125	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 181-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	रामपुर	निजी भूमि 3.188 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.625 <hr/> कुल रकबा 3.813	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 182-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	सिमरी	निजी भूमि 1.250 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.125 <hr/> कुल रकबा 2.375	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 183-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	महगुंवा	निजी भूमि 2.000 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.088 <hr/> कुल रकबा 3.088	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 184-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	हरबंशपुरा	निजी भूमि 0.888 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.750	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.
कुल रकबा 1.638					

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 185-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	रेंहुटा	निजी भूमि 3.500 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.875	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	हथकुरी तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.
कुल रकबा 4.375					

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 186-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	हथकुरी	निजी भूमि 4.563 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.938	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	हथकुरी तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.
कुल रकबा 5.501					

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 187-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	सटवा	निजी भूमि 2.060 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.700 <hr/> कुल रकबा 2.760	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	खम्हरिया तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 188-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	महदवां	निजी भूमि 1.310 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.563 <hr/> कुल रकबा 1.873	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	खम्हरिया तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 189-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	मडिया	निजी भूमि 1.940 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.500 <hr/> कुल रकबा 2.440	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	खम्हरिया तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.



प्र. क्र. 190-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	देवरी	निजी भूमि 3.813 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.250 <hr/> कुल रकबा 5.063	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरी तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 191-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	रनवाहा	निजी भूमि 2.688 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.250 <hr/> कुल रकबा 3.938	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरी तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 192-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	बख्तरी	निजी भूमि 4.763 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.250 <hr/> कुल रकबा 6.013	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरी तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 193-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	घटारी	निजी भूमि 2.500 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.250	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरी तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 3.750					

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 194-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	कुलुआ	निजी भूमि 3.250 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.250	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरी तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 4.500					

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 195-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	भगेपुर	निजी भूमि 2.938 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.250	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरी तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 4.188					

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 196-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	तुर्काताल	निजी भूमि 2.638 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.125 <hr/> कुल रकबा 3.763	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सिमरी तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 197-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	बछरवारा	निजी भूमि 1.800 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.750 <hr/> कुल रकबा 2.550	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सिमरी तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 198-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	बम्हरहा	निजी भूमि 1.963 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.500 <hr/> कुल रकबा 3.463	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सिमरी तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 199-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	धनोखर	निजी भूमि 1.625 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.625	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	श्यामरडाडा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 2.250					

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 200-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	श्यामरडाडा	निजी भूमि 2.063 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.375	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	श्यामरडाडा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 2.438					

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 201-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	भटगवां	निजी भूमि 0.750 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.188	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	श्यामरडाडा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 0.938					

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 202-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	ककरा	निजी भूमि 1.450 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.625 <hr/> कुल रकबा 2.075	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	विलहा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 203-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	मडवा	निजी भूमि 1.313 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.375 <hr/> कुल रकबा 1.688	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	विलहा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 204-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	रानीपुरा	निजी भूमि 1.313 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.525 <hr/> कुल रकबा 1.838	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	विलहा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 206-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	जनकपुर	निजी भूमि 0.70 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	जनकपुर तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 0.70					

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 207-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	रमखिरिया	निजी भूमि 0.23 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रमखिरिया तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 0.23					

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 208-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	कोठीटोला	निजी भूमि 0.93 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.41	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	दिया तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 1.34					

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 209-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	पहाड़ीखेरा	निजी भूमि 1.02 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.97 <hr/> कुल रकबा 2.99	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पहाड़ीखेरा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 210-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	निवारी	निजी भूमि 0.938 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.313 <hr/> कुल रकबा 1.251	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	श्यामरडाडा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 211-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	भटिया	निजी भूमि 1.200 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.625 <hr/> कुल रकबा 1.825	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सिमरी तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 212-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	खम्हरिया	निजी भूमि 1.880 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.625 <hr/> कुल रकबा 2.505	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	खम्हरिया तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 213-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	भरपुरा	निजी भूमि 2.060 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.625 <hr/> कुल रकबा 2.685	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	खम्हरिया तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 214-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	सिमरी बहादुर.	निजी भूमि 2.588 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.938 <hr/> कुल रकबा 3.526	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सिमरी तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 जुलाई 2012

क्र. 2226-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण		अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
	तहसील	नगर/ग्राम		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	दादर	1.517	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग-रीवा (म. प्र.).	नौवस्ता वितरक नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 24 जुलाई 2012

क्र. 2228-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण		अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
	तहसील	नगर/ग्राम		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमोर	डिहिया	0.04	कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	नेबूहा वितरिका नहर के अन्तर्गत नेबूहा सब माइनर नहर क्र. 4 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2230-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	नवा	0.099	कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग-रीवा (म. प्र.).	नेबूहा वितरिका नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2232-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	कंदैला	0.056	कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग-रीवा (म. प्र.).	नेबूहा वितरिका नहर के अन्तर्गत नेबूहा माइनर नहर क्र. 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2234-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बरा कोपरिहन टोला	0.072	कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग-रीवा (म. प्र.).	बोदा वितरिका नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 23 जुलाई 2012

प्र. क्र. 42-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-6357.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	मयावाड़ी	27.420	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	बादलडोह जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 43-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-6358.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	रिधोरा	40.459	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	बादलडोह जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 25 जुलाई 2012

क्र. 201-भू-अर्जन-2012-भू-अर्जन-प्र. क्र. 8-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) धार	(2) धरमपुरी	(3) निमरानी	(4) 0.303	(5) कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद.	(6) औंकारेश्वर परियोजना की दांयी तट अन्तर्गत नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की दांयी तट नहर प्रणाली चरण-III की वितरण/लघु/उप नहरें एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण.
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार, भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 11 जुलाई 2012

प्र. क्र. 37-अ 82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा अधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	महोईखुर्द	0.733	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयी नहर की सरबई वितरक नहर क्र. 1 के अंतर्गत महोईखुर्द माइनर क्र. 4 हेतु भू-अर्जन (पूरक).

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की सरबई वितरक नहर क्र. 1 के अंतर्गत महोईखुर्द माइनर क्र. 4 हेतु भू-अर्जन (पूरक).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 38-अ 82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा अधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	सरबई	0.240	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयी नहर की सरबई वितरक नहर क्र. 1 के अंतर्गत नांद माइनर क्र. 2 हेतु भू-अर्जन (पूरक).

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की सरबई वितरक नहर क्र. 1 के अंतर्गत नांद माइनर क्र. 2 हेतु भू-अर्जन (पूरक).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 27 जुलाई 2012

प्र. क्र. -अ 82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा अधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	हिनौता	5.649	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयी नहर की चंदला वितरक नहर की हरई माइनर, हिनौता सबमाइनर एवं बधारी सबमाइनर हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की चंदला वितरक नहर की हरई माइनर, हिनौता सब माइनर एवं बधारी सबमाइनर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 11 जुलाई 2012

प्र. क्र. 4-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	धमनोदा	2.944	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग, क्र. 2.	बरों सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 18 जुलाई 2012

क्र. 230-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	झलवार	0.182	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु संभाग, रीवा (म. प्र.).	बीड़ा-सेमरिया मार्ग के कि.मी. 2/8-10 में टमस पुल के पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) बीड़ा-सेमरिया मार्ग के कि.मी. 2/8-10 में टमस पुल के पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

क्र. 232-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बीड़ा-386, प.ह.-बीड़ा 23.	0.787	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु संभाग, रीवा (म. प्र.).	बीड़ा-सेमरिया मार्ग के कि.मी. 2/8-10 में टमस पुल के पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) बीड़ा-सेमरिया मार्ग के कि.मी. 2/8-10 में टमस पुल के पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 27 जुलाई 2012

क्र. 760-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	पोखरखुर्द	61.580	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	छिर्वा तालाब योजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 764-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	गवल	14.806	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	छिर्वा तालाब योजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(ग) ग्राम—बोरी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.17 हैक्टेयर.

पन्ना, दिनांक 15 जून 2012

प्र. क्र. 018-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि.

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—चकरभटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.20 हैक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
792	0.50
1094	0.22
1099	0.48
कुल रकबा निजी भूमि . . .	1.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—चकरभटा तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 019-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि.

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
3002	0.11
3004	0.13
3000	0.05
3001	0.05
3050	0.07
3051	0.08
3052	0.07
3053	0.06
3048	0.08
3049	0.12
3054	0.09
2987	0.08
3069	0.11
3071	0.07
कुल रकबा निजी भूमि . . .	1.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बोरी तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 020-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

- (ग) ग्राम—अतरहाई  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.76 हैक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
2122	0.07
2123	0.38
2124	0.06
2125	0.25
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>0.76</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अतरहाई तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 021-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि.

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—महेबा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.12 हैक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
592	0.02
2321	0.10
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>0.12</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—चकरा तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 022-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि.

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—रगौली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.72 हैक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
1965/2	0.07
1965/1क	0.04
1965/1ख	0.06
2001	0.02
1991	0.04
2002	0.01
1996	0.01
2003	0.02
2004	0.04
2005	0.02
1993	0.01
1992	0.02
2006/1	0.02
2006/2	0.01
1990	0.04
1986	0.02
1697	0.06
1693	0.01
1984	0.06
1976	0.03
1977	0.06
1952	0.01
140	0.01
141	0.07
1951	0.03
1978	0.01
1953	0.01
1938	0.05
1909	0.06
1910	0.01

(1)	(2)	(1)	(2)
1894	0.04	98	0.03
1865	0.04	99	0.02
1866	0.03	109	0.02
1829	0.06	110	0.01
1816	0.05	102	0.04
1803	0.05	70	0.01
142	0.01	104	0.03
156	0.02	105	0.01
112	0.01	72	0.05
1791	0.04	73	0.02
1785	0.04	74	0.01
1786	0.10	211	0.08
1749	0.01	230	0.09
1750	0.04	231	0.01
1747	0.04	223	0.02
1748	0.01	225	0.01
1728	0.01	296	0.03
1729	0.01	302	0.05
1730/2	0.03	कुल रकबा निजी भूमि . . .	2.72
1731	0.01		
1730/1	0.03	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—भर्रा तालाब योजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.	
1733	0.04		
1715	0.01	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.	
1714	0.02		
1710	0.02		
1713	0.02		
1685	0.04	प्र. क्र. 024-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—	
1711	0.03		
1702	0.03		
1703	0.01		
1696	0.01		
1694	0.01		
139	0.03	अनुसूची	
1999/1ख	0.08	(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि.	
1692	0.01	(क) जिला—पन्ना	
1686	0.05	(ख) तहसील—शाहनगर	
1670	0.01	(ग) ग्राम—महुआखेडी	
1682	0.03	(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.94 हैक्टेयर.	
1680	0.06	खसरा	अर्जित रकबा
138/2	0.02	नम्बर	(हैक्टेयर में)
136	0.01	(1)	(2)
113	0.01	312	0.25
111	0.02	313	0.22

(1)	(2)	(1)	(2)
984/313	0.03	3/5	1.00
299	0.20	3/6	1.00
223	0.09	97/2	0.85
224/2	0.17	97/3	0.03
224/1	0.34	121/2	0.06
220	0.16	130/2	0.38
218	0.18	300	0.33
216	0.26	310	0.11
217	0.35	कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>20.94</u>
125	1.82	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.	
124	0.05	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.	
126	0.35		
128	1.15		
79	0.28		
83/2	0.17		
85	0.20		
65/2	0.30		
63/3	0.08		
63/4	0.11		
61/1क	0.25		
61/1ख	0.70		
61/1ग	0.35		
61/1घ	0.35		
61/2	0.80		
62/1	0.15		
62/2	0.15		
54/2	1.065		
53	0.15		
51/1	0.27		
51/2	0.16		
15	0.55		
14/1	0.61		
14/2	0.20		
9	0.40		
6	0.13		
5	0.95		
4/3	0.40		
4/4	0.23		
4/5	0.30		
3/2	0.25		
3/3	1.00		
3/4	1.00		
		खसरा	अर्जित रकबा
		नम्बर	(हैक्टेयर में)
		(1)	(2)
		297	0.04
		296/1	0.08
		296/2	0.13
		296/3	0.15
		296/4	0.16
		296/8	0.45
		293	0.05
		292	0.40
		291	0.26

प्र. क्र. 025-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि.

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—विहरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—37.918 हैक्टेयर.

(1)	(2)	(1)	(2)
290	0.26	118/3	0.50
288	0.08	118/4	0.50
207/2	0.16	118/5	0.50
206	0.09	116	0.70
205	0.15	117	0.28
200	0.11	113	0.05
199/1	0.04	112	0.13
199/2	0.03	110	0.70
198	0.09	108	0.14
196	0.039	109	0.07
195	0.16	103	0.45
194	0.12	90	0.26
193	0.05	89	0.15
192	0.07	86	0.59
191	0.06	84	1.10
190	0.07	83	0.192
189	0.15	82	0.13
188	0.09	80	0.029
187	0.19	48	0.03
186/1	0.08	47	0.25
186/2	0.08	46	2.00
185	0.12	43	1.00
184	0.04	41	0.20
179	0.30	38	0.40
178	0.02	37/1	0.216
177	0.095	25	0.144
176	0.28	24	0.02
157	0.08	23	0.15
155	1.2	22	0.01
154	0.47	20	1.3
122/3	0.15	19	1.99
121	2.256	18	1.05
120	0.50	17/1	0.12
119	0.25	16	0.85
118/1	0.80	15	0.88
118/2	0.50	14	0.35
		12	0.144

(1)	(2)	(1)	(2)
11	0.7	486/2	0.15
10	0.75	442	0.15
8	2.82	13	0.450
7	0.033	15	1.50
6/2	1.00	342	0.021
4	1.52	343	0.120
107	0.03	341	0.020
175	0.11	340	0.010
174	0.09	242	0.06
173	0.32	239/1	0.025
172	0.21	239/2	0.020
171	0.03	239/3	0.03
160	0.06	237/1क	0.040
159	0.27	227	0.094
158	0.45	16/1	0.150
155	1.00	16/2	0.14
		16/3	0.15
		16/4	0.15
कुल रकबा निजी भूमि . . .	37.918	19	0.12
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.		21/3	0.34
		21/4	0.14
		21/1	0.76
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.		21/2	0.20
		22	0.40
		24	0.240
प्र. क्र. 026-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—		25	0.34
		27	0.15
		29	1.089
		30	0.035
		31	0.15
		32/1	0.146
		32/2	0.20
(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि.		35	0.09
(क) जिला—पन्ना		36	0.22
(ख) तहसील—शाहनगर		37/1	0.25
(ग) ग्राम—नुनागर		37/2	0.25
(घ) लगभग क्षेत्रफल—41.579 हेक्टर.		38/1	0.130
		38/2	0.10
खसरा	अर्जित रकबा	39	0.012
नम्बर	(हेक्टेयर में)	42	0.310
(1)	(2)	43	0.18
489/1	0.390	44	0.18
489/2	0.130		

(1)	(2)	(1)	(2)
45	0.18	94/5	0.22
46	1.61	95	0.12
47/1	0.23	96	0.25
47/2	0.44	97	0.30
48/1	0.51	104/1	0.10
48/2	0.52	104/4	0.05
50	0.55	798	0.15
51	0.55	799	0.19
54	0.26	800	0.20
55/2	2.00	802/1	0.020
56	0.26	802/2	0.020
57	0.82	802/3	0.020
58	0.17	802/4	0.020
61	1.32	802/5	0.020
62/1	0.66	802/6	0.020
62/1क	0.40	802/7	0.010
62/2	0.68	802/8	0.010
63/1	0.26	802/9	0.010
63/2	0.27	802/10	0.01
63/3	0.52	802/11	0.010
64	0.730	802/12	0.010
226	0.02	802/13	0.020
188	0.25	805/2	0.01
73	0.28	806/1	0.20
74	0.30	806/2	0.24
75	0.40	806/3	0.10
76	0.067	1040/3	0.22
77	0.10	1039	0.06
78/1	0.72	1047	0.012
78/2	0.60	1048	0.109
79/1	0.58	1049/2	0.05
79/2	0.58	1050	0.23
81/1	0.17	1053	0.37
81/2	0.16	1052/1	1.09
82/1	0.52	1052/2	1.80
82/2	0.97	1055	0.34
82/3	0.48	1056	0.43
82/4	0.17	1057	0.083
83	0.30	2	0.15
94/2	0.33	3	2.79
94/3	0.17	6	0.21
94/4	0.79	241	0.04

(1)	(2)	(1)	(2)
1038	0.60	696	0.06
1051	0.13	695	0.156
271	0.006	688	0.09
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>41.579</u>	689	0.09
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पर्वट		687	0.06
मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.		686	0.05
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय,		685	0.1
पन्ना में किया जा सकता है.		674	0.05
		675	0.04
प्र. क्र. 027-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को		684	0.07
यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित		681/1	0.02
भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के		681/2	0.02
लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक,		681/3	0.02
सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त		681/4	0.02
भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—		673	0.13
		741	0.02
अनुसूची		740	0.05
(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि.		757	0.062
(क) जिला—पन्ना		758	0.206
(ख) तहसील—शाहनगर		763	0.05
(ग) ग्राम—धौवापुरा		764	0.01
(घ) लगभग क्षेत्रफल—69.404 हेक्टर.		755	0.12
खसरा	अर्जित रकबा	766	0.02
नम्बर	(हेक्टेयर में)	661	0.48
(1)	(2)	660	0.01
956	0.53	672	0.04
953	0.081	671	0.05
952	0.15	670	0.05
945	0.95	669	0.11
716	0.55	668	0.02
714	0.98	682	0.07
712	0.04	667	0.04
711	0.07	666	0.03
710	0.007	665	0.06
706	0.32	664	0.06
705	0.07	663	0.05
704	0.07	662/1	0.07
703	0.07	662/2	0.14
702	0.07	662/3	0.06
700	0.27	661	0.48
701	0.19	660	0.01
697	0.21	796/1	0.03



(1)	(2)	(1)	(2)
796/2	0.03	565	0.42
796/3	0.03	564	0.05
800	0.09	563	0.08
792	0.032	562	0.08
793	0.09	561	0.08
794	0.04	560	0.08
805	0.2	559	0.08
807	0.11	558	0.13
808	0.45	557	0.12
806	0.017	556	0.2
820	0.10	555	0.13
815	0.036	531	0.14
819	0.02	532	0.17
809	0.04	530	0.07
804	0.60	529	0.06
803	0.1	528	0.03
802	0.08	436	0.12
801	0.08	437	0.15
799	0.02	438	0.16
798	0.07	439	0.18
629	0.09	440	0.16
627	0.1	444	0.17
626	0.1	446	0.06
625	0.12	448	0.23
624	0.1	447/1	0.03
623	0.65	447/2	0.03
579	0.225	447/3	0.02
578	0.03	449	0.027
577	0.06	450	0.011
575	0.09	442	0.025
574	0.12	441	0.025
580	0.02	420	0.10
581	0.05	419	0.11
584	0.02	419	0.11
582	0.22	421	0.11
583	0.15	418	0.07
573	0.14	413	0.12
570	0.04	411	0.103
569	0.04	407	0.05
568	0.04	410	0.04
567	0.04	405	0.045
566	0.40	404/1	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
404/2	0.08	119	0.057
403	0.03	67	0.46
402	0.006	65	0.35
386	0.34	75	1.00
385	0.31	76/1	0.06
384	0.31	76/2	0.18
388	0.84	58	0.31
329	0.005	57	0.23
328	0.002	55	0.27
303	0.70	56	0.08
304	0.069	54	0.54
306	0.047	53	0.16
302	0.31	40/2	0.20
301	0.48	51	0.56
308	0.069	49	0.38
309	0.28	48	0.38
300	0.41	8	0.28
298/1	0.08	6/1	0.20
298/2	0.20	5	0.15
297	0.37	4	0.53
296	0.35	10	0.25
293	0.12	12/1	0.45
294	0.12	12/2	0.45
295	0.18	382	0.29
299	0.38	381	0.29
291	0.79	380	1.28
311	0.15	379	0.26
289	0.32	378	1.52
286	0.38	376	1.25
285	0.035	375	0.8
284	0.05	374/1	0.08
283	0.22	374/2	0.10
111	0.04	374/3	0.08
110	0.086	374/4	0.09
109	0.50	372/3	0.05
69	0.56	372/2	0.05
290	0.61	372/1	0.06
68	0.65	371	0.69
71	0.13	370	0.23
72	0.27	369	0.23
73	0.89	368	0.23
74	0.01	367	0.48

(1)	(2)	(1)	(2)
366	0.48	678/2	0.7
365	0.47	677	0.24
364	0.87	657/2	0.41
363/1	0.30	622	0.10
363/2	0.30	549	0.04
363/3	0.30	550	0.04
363/4	0.31	551	0.04
362/1	0.30	552	0.04
362/2	0.30	553	0.04
362/3	0.30	554	0.04
362/4	0.30	536	0.05
361	0.15	537	0.04
360/1	0.19	538	0.05
360/2	0.58	539	0.02
359	0.2	540	0.02
358	0.36	542	0.07
356/3	0.14	543	0.06
356/1	0.15	544	0.15
356/2	0.14	545	0.10
355	0.24	546	0.07
352	0.15	547	0.05
351	0.10	548	0.07
350	0.19	66/1	1.19
349	0.20	66/2	0.01
348	0.30	74	0.01
347	0.16	754	0.04
346	0.08	756	0.04
345	0.13	759	0.06
344	0.08	कुल रकबा निजी भूमि . . .	<u>69.404</u>
342	0.28	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.	
340	0.13	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.	
339	0.48		
338	0.02		
337	0.07		
336	0.12		
947	0.80		
944	0.60		
713	0.02		
690	0.7		
679/1	0.02		
679/2	0.03		
678/1	0.08		

प्र. क्र. 030-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन

के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि.

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—ठरका

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.71 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
145	0.08
146	0.12
143	0.08
144	0.15
142	0.11
514	0.08
651	0.09
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>0.71</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बोरी तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 031-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि.

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—देवरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.72 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
508	0.06
1599	0.32
1722	0.25
1774	0.09
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>0.72</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—देवरा नम्बर 2 तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 114-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि.

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—जसवंतपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.670 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
842	1.500
789	0.420
1874/1	0.010
1874/2	0.010
1875/1, 1875/2	0.050
1876	0.306
1917/3	0.104
1917/2	0.173
1938	0.027
1917/1	0.135

(1)	(2)
1939/1	0.260
1939/2	0.160
1940/1	0.035
1968	0.010
1966/1	0.072
1966/2	0.071
1965/1	0.020
2002	0.166
2001	0.020
1999	0.250
2000	0.020
1996	0.170
1998	0.030
2034	0.031
2033	0.050
2032	0.140
2218	0.103
2223	0.110
2222/1	0.160
2222/2	0.160
2240	0.210
2241	0.181
2246	0.021
2244	0.001
2245	0.140
2243	0.137
2252	0.002
2031	0.010
2035/1	0.010
2035/2	0.050
1967	0.060
1866	0.010
1867/1	0.200
1867/2	0.200
1862	0.180
1997	0.206
2036/1	0.140
2036/2	0.140
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>6.670</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जसवंतपुरा सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 116-अ-82-वर्ष-2011-12.---चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि.

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—गुनौर

(ग) ग्राम—विक्रमपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.16 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
155	0.02
212	0.70
219	0.80
220/1	1.00
220/2	0.94
243	0.84
245	0.54
246	0.26
247	0.95
249	0.73
250	0.25
251	0.31
259	1.59
302	0.30
282	0.07
267	0.20
244	0.22
252	0.39
218/2	0.05
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>10.16</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जसवंतपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 118-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि.

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—गुनौर  
(ग) ग्राम—पडेरी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.24 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1216	1.73
1225	0.27
1229/2	3.91
1369	1.02
1377	0.38
1227	0.14
1247/2/1	0.25
1247/2/2	0.25
1247/3	0.41
1252/2	0.34
1252/1/2	0.68
1252/1/2	0.68
1375	0.31
1367	0.02
1370	0.04
1371	0.28
1372	0.03
1373	0.10
1374	0.33
1376	0.05
1247/5	0.09
1252/4	0.34
1247/4	0.09
1252/3	0.34
1249	0.40
1247/6	0.41
1252/5	0.35
कुल रकबा निजी भूमि	13.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सिली तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण, डूब क्षेत्र, एप्रोच एवं स्पिल चैनल, बेस्ट वियर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 120-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि.

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—शाहनगर  
(ग) ग्राम—ठेपा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.07 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1093	0.01
1094	0.02
1096	0.03
1097	0.01
1112	0.02
1190	0.05
1210	0.03
1211	0.01
1212	0.03
1231	0.03
1232	0.03
1111	0.01
1116	0.05
1203	0.03
1113	0.04
1118	0.05
1114	0.01
1119	0.01
1185	0.01
1186	0.02
1188	0.01

(1)	(2)
1189	0.01
1201	0.01
1205	0.01
1209	0.04
1206	0.02
1240	0.03
1246	0.03
1247	0.02
1239	0.02
1238	0.06
1251	0.04
1252	0.03
1253	0.04
1263	0.01
1270	0.01
1271	0.04
1272	0.01
1275	0.01
1276	0.01
1273	0.01
1274	0.08
1292	0.02
1293	0.02
1294	0.01
1295	0.03
2167	0.04
2169	0.19
2170	0.08
2171	0.09
2176	0.10
2177	0.15
2168	0.06
2165	0.07
2172	0.06
1174	0.10

कुल रकबा निजी भूमि . . . 2.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—चकरभटा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 121-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि.

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—नांदन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.92 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
931/1	0.18
931/2	0.30
931/3	0.60
931/4	0.10
845	0.02
846	0.13
958	0.11
848	0.36
854	0.04
969	0.07
970	0.07
895	0.17
863	0.02
862	0.20
990	0.16
1001	0.02
997	0.07
996	0.03
893	0.10
844	0.13
934/3	0.26
934/4	0.09
953	0.03
962	0.04
887	0.03
988	0.01
742	0.19
743/1	0.02
912	0.06
763	0.06

(1)	(2)
617	0.01
627/2	0.01
908	0.07
619	0.06
625	0.10
कुल रकबा निजी भूमि . . .	3.92
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—चकरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु,	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.	

प्र. क्र. 122-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि.

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—शाहनगर  
(ग) ग्राम—ऊँचा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.39 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
406/2001	0.44
436	0.29
539	0.08
626	0.01
988	0.01
904	0.02
1033	0.02
861	0.02
843	0.02
974	0.02
981	0.02
987	0.04
933	0.02

(1)	(2)
929	0.03
1005	0.03
1028	0.03
875	0.07
1032	0.04
863/1	0.04
860	0.03
846/3	0.03
845	0.03
1094	0.04
874	0.01
कुल रकबा निजी भूमि . . .	1.39

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—नादनताल तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 153-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि.

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अजयगढ़  
(ग) ग्राम—छोटी बनहरी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.10 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
138/1	0.43
130/1	0.09
129/1	0.02
138/2	0.05
146/1	0.32
138/3	0.04
146/2	0.12
138/4	0.01



(1)	(2)	(1)	(2)
146/3	0.08	1213	0.04
135/2	0.02	1155	0.04
138/5	0.05	1154	0.04
139	0.08	1212	0.04
140	0.07	1151	0.09
144	0.31	1149	0.12
145	0.18	1204	0.23
142	0.04	949	0.04
269	0.09	1197	0.01
143	0.02	1209	0.05
270/1ख	0.03	1214	0.06
267	0.05	955	0.10
कुल रकबा निजी भूमि . . .	2.10	964	0.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—रायपुर तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 155-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—टौरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.70 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1167	0.10
1163/2	0.04
1148/2	0.01
1163/1	0.04
1148/1	0.01
1164	0.14
1156	0.04

1212/1431	0.07
957	0.04
963	0.14
980	0.07

कुल रकबा निजी भूमि . . . 1.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—रायपुर तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 181-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—जिजगांय

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.567 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
629	0.156
633	0.332

(1)	(2)
663	0.003
664	0.208
665/1, 665/2	0.128
666/1, 666/2	0.190
673	0.191
675/1, 675/एम-1	0.012
684/1, 684/2	0.035
685	0.163
711	0.197
713	0.010
717	0.007
719/1, 719/2	0.225
720	0.036
723	0.001
724	0.182
725	0.064
730	0.092
735	0.218
736	0.007
737	0.297
738	0.020
743	0.052
744	0.125
745	0.109
760	0.042
761	0.006
763	0.007
764	0.135
765	0.139
770	0.178

कुल रकबा निजी भूमि . . . 3.567

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मिदासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 202-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

- (क) जिला—पन्ना  
 (ख) तहसील—अजयगढ़  
 (ग) ग्राम—प्रतापपुर  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.79 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/1	0.16
4/2	0.30
4/3	0.04
9	0.12
10	0.20
11	0.02
26	0.15
27	0.09
28	0.03
103	0.19
104	0.28
280	0.04
281	0.09
282	0.06
283/1	0.07
283/2	0.06
279	0.05
262	0.02
263	0.15
277	0.05
278	0.05
257	0.02
256	0.12
251	0.44
252	0.08
253	0.09
237	0.04
238	0.08
235	0.03
203	0.09
204/1	0.18
205	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
258	0.02	167	0.02
259	0.04	166	0.28
208/1	0.25	165	0.51
209	0.28	कुल रकबा निजी भूमि . . 7.79	
185	0.18	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—रूड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.	
184	0.06	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.	
183	0.09		
182	0.05		
180/1	0.12		
164/1	0.10		
165	0.26	प्र. क्र. 205-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—	
156	0.22	अनुसूची	
180/2	0.04	(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि	
158/2	0.06	(क) जिला—पन्ना	
14	0.02	(ख) तहसील—अजयगढ़	
15	0.01	(ग) ग्राम—छतैनी	
16	0.10	(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.24 हेक्टेयर.	
17	0.08	खसरा	अर्जित रकबा
22	0.02	नम्बर	(हेक्टेयर में)
116/1	0.06	(1)	(2)
116/2	0.05	145	0.15
119/369	0.04	146/1, 146/2	0.04
119	0.09	147	0.33
260	0.10	149	0.10
261	0.09	150	0.11
262	0.09	151	0.14
41/372	0.06	152	0.04
41	0.01	167	0.04
40	0.10	168	0.20
83	0.04	169	0.01
34/1, 34/2, 34/3,	0.14	171	0.04
34/4, 34/5		172/1, 172/2	0.01
144	0.17	175	0.29
145/1, 145/2, 145/3	0.05	185/1, 185/2	0.48
173	0.04	186	0.03
171	0.02	195/1, 195/2	0.48
170	0.19		
169/1, 169/2	0.12		
168/1, 168/2	0.10		

(1)	(2)	(1)	(2)
196	0.39	408	0.00
197	0.01	411	0.17
201	0.12	412/1क	0.05
410	0.40	412/2	
411	0.26	412/3	
412/1क, 412/2	0.69	412/4	
412/3, 412/4		417/1	0.10
416	0.20	417/2	
417/1, 417/2	0.01	418	0.07
443	0.25	420	0.04
444	0.03	421	0.05
440	0.02	422	0.28
446	0.29	423	0.02
467	0.08	331	0.05
468	0.29	332	0.32
469	0.18	93	0.04
317	0.26	94	0.08
318/1, 318/2	0.19	95	0.11
319/1, 319/2	0.08	96	0.14
322	0.08	100	0.13
326	0.15	101	0.06
327	0.14	102	0.11
330/2	0.12	103	0.02
330/3		118	0.03
333/2	0.36	119	0.21
333/3		127	0.40
351/1		128	0.08
351/2	0.02	129/1	0.02
351/3		129/2	0.00
352	0.03	130	0.13
353/1	0.08	141	0.08
353/2	0.08	142	0.12
355/1	0.02	143	0.08
355/2		144	0.03
357/1	0.02	147	0.03
357/2		149	0.01
366	0.14	153	0.01
369	0.02	154	0.13
383	0.09	156	0.04
384	0.17	97	0.01
386	0.03	कुल रकबा निजी भूमि . . .	11.24
387	0.06		
388	0.06		
389	0.03		
406	0.04		
407	0.01		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रूझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 207-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—हीरापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.42 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6	0.81
9/1	0.00
9/1ख	0.28
9/2	0.14
17/1	0.00
17/2	0.19
31	0.62
32	0.37
42	0.68
57	0.07
58	0.54
60	0.08
143/2	0.00
141	0.42
130	0.15
131	0.45
123	0.19
122	0.13
116	0.06
113/1	0.09
113/2	0.08
113/3	0.08
110	0.01
111	0.03
102/1	0.00
102/2	0.18
108	0.06
75	0.01

(1)	(2)
76	0.10
79	0.10
81	0.22
82	0.22
29	0.06
कुल रकबा निजी भूमि . . 6.42	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रूझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 208-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—नवस्ता

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.13 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
68	0.09
69	0.15
70	0.25
89	0.11
90	0.26
94	0.28
97	0.09
98	0.09
99	0.06
100	0.38
103/1	0.38
103/2	0.00
114	0.08
114/291	0.14

(1)	(2)	(1)	(2)
116	0.09	228	0.10
120	0.07	229	0.07
121	0.02	233	0.03
122	0.03	कुल रकबा निजी भूमि . . 7.13	
123	0.25	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रूँड़	
124	0.08	मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण	
125	0.25	कार्य हेतु.	
127/1	0.01	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय,	
127/2	0.00	पन्ना में किया जा सकता है.	
174	0.15	प्र. क्र. 209-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को	
175	0.01	यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित	
190	0.23	भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन	
193	0.05	के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक	
281	0.06	एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है	
284	0.07	कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—	
141	0.09	अनुसूची	
142	0.30	(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि	
143	0.17	(क) जिला—पन्ना	
144	0.01	(ख) तहसील—अजयगढ़	
145	0.20	(ग) ग्राम—बिलाडी	
146	0.03	(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.73 हेक्टर.	
147/1	0.02	खसरा	अर्जित रकबा
147/2	0.00	नम्बर	(हेक्टेयर में)
193	0.18	(1)	(2)
181	0.04	02	0.30
195	0.29	03	0.10
196	0.01	08	0.17
197	0.09	11	0.19
187	0.10	12/1	0.08
198	0.15	12/2	0.08
185/2	0.14	13	0.37
185/1	0.00	68	0.13
202	0.09	70	0.46
203/2	0.18	71	0.17
203/1	0.00	47	0.11
204	0.03	45	0.11
217	0.04	74	0.04
218	0.11	75/1	0.30
219	0.18	75/2	0.13
221	0.03	79/1	0.20
222	0.18	79/2	0.11
224	0.18		
225	0.09		
226	0.15		
227	0.12		

(1)	(2)	(1)	(2)
78	0.11		
85	0.08	274	0.32
87	0.09	371/1	0.24
86	0.11	372/2	0.00
90	0.14	372/1	0.36
83	0.04	372/2	0.00
96	0.03	373	0.10
97	0.08	374	0.06
कुल रकबा निजी भूमि . . .	3.73	375	0.07
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.		377	0.01
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.		382	0.04
		384	0.20
		385	0.15
		391	0.13
		393	0.09
		394	0.11
		396	0.16
		397	0.14
		398	0.05
		399	0.17
		401	0.04
		402	0.25
		413	0.04
		406	0.19
		410	0.02
		408	0.05
		कुल रकबा निजी भूमि . . .	5.44
(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रूँझ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.	
(क) जिला—पन्ना		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.	
(ख) तहसील—अजयगढ़			
(ग) ग्राम—निजामपुर			
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.44 हेक्टर.			
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
202	0.42		
203	0.06		
204	0.06		
209	0.26		
210	0.16		
212	0.30		
213	0.28		
214	0.04		
215	0.07		
253	0.32		
254	0.32		
272	0.16		

प्र. क्र. 217-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—हरनामपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.83 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
149	0.01
150	0.11
152	0.09
153	0.16
154	0.34
155	0.04
159	0.11
161	0.08
162	0.02
163	0.02
165	0.05
166	0.16
167	0.04
168	0.13
170	0.03
171	0.32
172	0.13
173	0.17
174	0.14
175	0.01
176	0.10
177	0.05
190	0.04
193	0.04
194	0.26
195	0.25
196	0.05
198	0.05
199	0.35
226	0.32
326	0.06
242	0.08
243	0.03
244	0.32
245	0.36
246	0.02
249	0.10
338	0.64
360	0.26
361	0.19
361/514	0.08
362	0.02
कुल रकबा निजी भूमि	5.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रूड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 6 जुलाई 2012

क्र. भू-अर्जन प्र. क्र. 6-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—नया हरसूद, छनेरा

(ग) ग्राम—माण्डला

(घ) कुल अर्जित भूमि —4.77 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
166/2	0.01
199/1	0.02
199/3	0.08
215	0.08
216	0.15
217/2	0.20
218	0.15
219/1	0.04
219/2	0.09
221/1	0.03
221/2	0.24
223/1	0.18
224	0.09



(1)	(2)
225/1	0.10
225/2	0.06
227/1	0.03
227/2	0.03
227/3	0.03
227/6	0.08
227/8	0.01
227/14	0.02
271/2	0.05
273/1	0.07
273/2	0.08
274/1	0.05
274/2	0.06
275/1	0.05
276/1	0.10
276/2	0.08
278	0.36
315/1	0.02
324/2	0.20
325/4	0.25
325/5	0.10
348	0.05
349/1	0.11
350/1	0.03
351	0.17
352/1	0.04
352/2	0.05
362/1	0.15
362/2	0.13
362/3	0.20
362/4	0.20
363/3	0.05
374	0.08
375	0.02
376	0.03
377	0.01
383/4	0.08
388/1	0.10
388/2	0.05
389	0.03

कुल योग . . 4.77

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नया हरसूद, छनेरा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन प्र. क्र. 7-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—नया हरसूद, छनेरा  
(ग) ग्राम—उन्डैल रैयत  
(घ) कुल अर्जित भूमि —0.72 हेक्टर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
---------------	-------------------------------

(1)	(2)
4	0.08
12	0.08
14	0.10
17/1	0.10
17/2	0.10
19/1	0.13
46	0.13

कुल योग . . 0.72

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नया हरसूद, छनेरा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		(1)	(2)
धार, दिनांक 17 जुलाई 2012		33/3	0.120
क्र. 986-प्र.क्र.32-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		34/2	0.150
अनुसूची		48/2	0.120
(1) भूमि का वर्णन—		48/3	0.150
(क) जिला—धार		72/1	0.300
(ख) तहसील—मनावर		72/2	0.220
(ग) ग्राम—रनतलाव		73	0.440
(घ) लगभग क्षेत्रफल —11.718 हेक्टर.		85/1	0.150
		85/2	0.140
		129/1	0.080
		85/3	0.140
		129/2	0.090
		88/1	0.055
		173/1	0.180
		173/5	0.180
		88/2	0.150
		173/3	0.180
		89	0.020
		173/2	0.260
		173/8	0.100
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	90/1	0.100
(1)	(2)	132/1	0.050
10/1	0.030	127/1	0.170
11/1	0.240	127/4	0.140
11/2	0.180	128/1	0.200
127/2	0.030	128/2	0.100
11/3	0.020	128/3	0.110
127/5	0.140	128/4	0.160
11/7	0.253	131	0.030
34/4	0.180	143/1	0.030
11/10	0.253	143/2	0.481
34/5	0.180	144/1	0.090
25	0.120	145	0.400
29/1	0.070	146/2	0.030
29/2	0.180	146/3	0.080
30	0.140	159/1	0.030
31	0.280	168/1	0.290
48/1	0.180	168/3	0.330
32/1	0.070	168/4	0.400
34/3	0.180	173/6	0.100
32/2	0.124	173/9	0.100
32/3	0.080	173/7	0.100
33/1	0.260	173/10	0.100
34/1	0.160	175/1	0.140
33/2	0.172	175/5	0.200

(1)	(2)	(1)	(2)
175/2	0.130	109/2/1	0.070
175/6	0.070	191/2/2	0.100
175/3	0.130	109/2/2	0.070
175/7	0.240	186/2	0.350
175/4	0.200	191/2/1	0.100
175/8	0.240	109/2/3	0.070
कुल योग .	<u>.11.718</u>	191/2/3	0.100
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (गुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु.		109/3	0.120
		185/3	0.030
		186/3	0.300
		112/1/1	0.150
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.		137/13/1	0.130
		112/1/2	0.170
		137/13/2	0.130
		195/8	0.270
		113/3	0.200
		195/6	0.140
धार, दिनांक 19 जुलाई 2012		113/4	0.210
क्र. 1013-प्र.क्र. 27-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		195/1/2	0.450
		120/3	0.190
		121/3	0.350
		121/4	0.020
		121/6	0.900
		121/5	0.210
		137/3	0.070
अनुसूची		137/3क	0.110
(1) भूमि का वर्णन—		191/1	0.300
(क) जिला—धार		137/9/3	0.030
(ख) तहसील—मनावर		195/3/1	0.280
(ग) ग्राम—भैंसावद		137/12	0.130
(घ) लगभग क्षेत्रफल —10.387 हेक्टर.		137/14	0.200
		195/4	0.500
खसरा	रकबा	184/1	0.230
नम्बर	(हेक्टेयर में)	189/2	0.050
(1)	(2)	184/2	0.230
109/1/1/1	0.070	191/3	0.430
186/1/1	0.120	195/3/2	0.200
109/1/1/2	0.070	195/2ख	0.120
186/1/3	0.085	195/5	0.190
109/1/2	0.070	197/2/11	1.160
186/1/2	0.172	197/2/12	0.180

(1)	(2)	(1)	(2)
198/1	0.180	182/4/1	0.060
198/2	0.480	182/4/2	0.670
योग कुल रकबा . . .		2.015	
योग कुल रकबा . . .		10.387	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1019-प्र.क्र. 28-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—झापड़ी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.015 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
181/2	0.060
181/3	0.450
181/4/1	0.020
181/4/2	0.080
182/3/4	0.430
182/2/2क	0.125
182/3/3	0.040
182/3/5	0.080

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1025-प्र.क्र. 29-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—गुराड़िया  
(घ) क्षेत्रफल —13.720 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
11/2/1	0.360
61/3	0.470
63/2	0.020
11/3	0.250
61/5	0.170
63/1	0.360
11/4	0.300
11/8	0.150
11/9	0.270
61/1	0.110

(1)	(2)
11/10/3	0.450
12	0.190
14, 19/3, 23/4, 24/2/2	0.410
22/2, 23/2	0.050
19/4, 22/3/1	1.050
22/3/1, 24/2/1	
22/3/2, 23/3/2, 24/1	0.600
61/2	0.270
61/4	0.500
61/6	0.180
61/7	0.190
61/8	0.600
62/4	0.170
68/3	0.090
68/4	0.620
68/7/1	0.680
68/7/3क	0.080
68/5	0.670
68/7/2	0.100
68/8/1	0.030
68/6/1	0.100
68/6/2	0.150
70	0.250
71/2	1.770
72	0.780
73/2	0.960
10/116/2/2	0.240
11/10/2	0.080
योग कुल रकबा . .	<u>13.720</u>

क्र. 1031-प्र.क्र. 30-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—दसवी  
(घ) क्षेत्रफल —10.232 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
22	0.020
26	0.260
27	0.340
28	0.730
23/2	0.170
47/3	0.340
47/4	0.040
47/9	0.410
47/1	0.126
47/6	0.290
44/2	0.200
47/2	0.126
47/5	0.360
47/7	0.120
48/2	0.700
48/1	0.030
149/2	0.420
149/6	0.200
150/5	0.330
149/4	0.300
163/3	0.080
165	0.350
212	0.400
180	1.110
183	0.080

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

(1)	(2)	(1)	(2)
149/3	0.600	29/2	0.710
149/5	0.260	29/3	0.850
189/1ख	0.050	30/1	1.530
210/1	0.280	30/2	0.360
210/2	0.260	39/2	0.320
210/3	0.280	40	0.560
210/4	0.240	43/1, 43/2	0.680
217	0.120	44/1	0.470
218	0.490	45	0.430
233	0.120	48	0.530
योग कुल रकबा . .	<u>10.232</u>	49/1	0.025
		49/2	0.330
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (गुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.		49/4, 79/2	0.270
		79/1	0.450
		80/1	0.650
		80/4	0.300
		योग कुल रकबा . .	<u>9.945</u>

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1037-प्र.क्र. 33-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—देदला  
(घ) क्षेत्रफल —9.945 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/3	0.555
5/4	0.925

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (गुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 25 जुलाई 2012

क्र. 207-भू-अर्जन-2012-भू-अर्जन प्र. क्र.-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—धरमपुरी  
(ग) ग्राम—डोंगरगांव  
(घ) क्षेत्रफल —0.724 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59/2	0.223
28/2, 29, 30	0.270
187/3, 188/5	0.135
237/1/1	0.040
237/5, 237/6	0.050
253/1	0.006
योग . .	<u>0.724</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना की दांयी तट नहर प्रणाली चरण-III की वितरण/लघु/उप नहरें एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार, भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग धामनोद के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 213-भू-अर्जन-2012-भू-अर्जन प्र. क्र.-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—धरमपुरी  
(ग) ग्राम—लोहारी  
(घ) क्षेत्रफल —0.160 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
111/5	0.140
108/2	0.020
योग . .	<u>0.160</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना की दांयी तट नहर प्रणाली चरण-III की वितरण/लघु/उप नहरें एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार, भू-अर्जन अधिकारी, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग धामनोद के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 219-भू-अर्जन-2012-भू-अर्जन प्र. क्र.-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—धरमपुरी  
(ग) ग्राम—सेमल्दा  
(घ) क्षेत्रफल —0.144 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
223/5/2	0.019
185/5	0.060
178/1	0.065
योग . .	<u>0.144</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना की दांयी तट नहर प्रणाली चरण-III की वितरण/लघु/उप नहरें एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार, भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग धामनोद के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 जुलाई 2012

क्र. 5062-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,

इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन--

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
 (ख) तहसील—पांडुर्णा  
 (ग) नगर/ग्राम—बिछुआसानी, प.ह.नं. 274,  
 ब.नं. 40, रा.नि.मंडल-नादनवाड़ी.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.376 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
306	0.051
303/2	0.101
303/1	0.061
303/3	0.061
303/6	0.051
303/9	0.051
योग . .	<u>0.376</u>

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बिछुआसानी जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांडुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 जुलाई 2012

क्र. 5141-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन--

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
 (ख) तहसील—मोहखेड़  
 (ग) नगर/ग्राम—पठरानाई, प.ह.नं. 48/53  
 ब.नं. 310, रा.नि.मंडल-इकलबिहरी.  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.663 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
273	0.011
69	0.029
272/4	0.056
272/5	0.025
272/8	0.008
272/6	0.014
272/9	0.062
272/7	0.045
61	0.172
271	0.011
8	0.022
65/1	0.006
65/2	0.006
65/3	0.010
65/4	0.009
65/6	0.009
65/7	0.009
66	0.050
68	0.028
65/5	0.009
57/1	0.034



(1)	(2)	(1)	(2)
58/1	0.008	433/10	0.016
57/2	0.008	433/4, 433/6	0.017
57/3	0.0022	445/1	0.008
योग . .	<u>0.663</u>	444	0.065
		446/2	0.018
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बुचनई जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.		445/2	0.016
		443	0.013
		442/2	0.047
		442/1	0.030
		योग . .	<u>0.260</u>

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य अनुविभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बुचनई जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य अनुविभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 5142-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—मोहखेड़
- (ग) नगर/ग्राम—कोड़ामऊ, प.ह.नं. 48/49  
ब.नं. 78, रा.नि.मंडल-इकलबिहरी.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.260 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 जुलाई 2012

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
433/9	0.017
446/1	0.013

क्र. 2181-भू-अर्जन-कार्य.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—बिसार

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.096 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
90/ख	0.096
90/2क	
योग . . .	<u>0.096</u>

### अशासकीय भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चर्चाई वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2183-भू-अर्जन-कार्य.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—मोहनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.144 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
275 1(क)	0.144
योग . . .	<u>0.144</u>

### अशासकीय भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चर्चाई वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 18 जुलाई 2012

क्र. 2207-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—गोंदहाई कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.236 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
31/2/4	0.064
64/1	0.034
64/3	0.050
64/4	0.088
कुल योग . . .	<u>0.236</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की क्योटी नहर की मनगवां माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. प्रशासक-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हुजूर  
(ग) ग्राम—बम्हैरी चौध  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.323 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
70/2	0.150
273	0.096
278	0.048
279	0.048
280	0.048
544	0.020
316	0.270
365	0.010
537	0.020
538	0.060
399/2	0.03
399/3	0.03
403/1	0.02
403/2	0.02
403/3	0.02
404	0.081
421	0.133
480	0.019
528/1	0.180
545	0.020
कुल योग . .	<u>1.323</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरक नहर के रहट माइनर में निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 20 जुलाई 2012

क्र. 2559-भू-अर्जन-2012-रा. प्र. क्र.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ  
(ख) तहसील—पेटलावद  
(ग) ग्राम—पनास  
(घ) तालाब—पनास

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
44	0.15
43	0.13
42	0.13
41	0.09
327	0.07
303	0.02
304	0.05
307	0.01
306	0.02
305	0.08
299	0.03
268	0.20
267/1	0.03
267/2	0.05
262	0.09
227	0.24
328	0.05
231/1	0.04
231/2	0.12
193	0.08
198	0.02

(1)	(2)
186	0.06
188	0.03
263	0.03
264	0.03
265	0.03
185	0.07
168	0.08
180	0.04
योग . . . 2.07	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पनास तालाब नहर निर्माण होने से ग्राम पनास का कुल रकबा निजी भूमि 2.07 हेक्टर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2561-भू-अर्जन-2012-रा. प्र. क्र.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ  
(ख) तहसील—पेटलावद  
(ग) ग्राम—नहारपुरा  
(घ) तालाब—असालिया (नहर निर्माण)

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
701	0.09
योग . . . 0.09	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—असालिया तालाब नहर निर्माण होने से ग्राम नहारपुरा का कुल रकबा निजी भूमि 0.09 हेक्टर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 25 जुलाई 2012

क्र. 2672-भू-अर्जन-2012-रा. प्र. क्र. अ-2011-2012—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ  
(ख) तहसील—थांदला  
(ग) ग्राम—नौगावों नगला (तालाब ढोलखरा की नहर निर्माण)  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.31 हे. निजी भूमि.

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
165/1	0.02
165/2	0.02
165/3	0.03
173	0.07
174	0.07
184	0.08
260	0.04
261	0.01
263	0.18
290	0.03
292	0.02
296/2	0.21
297/1	0.03
307	0.06
387	0.06
388	0.30
395	0.12
398	0.23
400	0.27
401	0.20
402/1	0.08
402/2	0.01
405	0.08
406/3	0.09
योग . . . 2.31	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ढोलखरा तालाब नहर निर्माण होने से ग्राम नौगावों नगला का कुल रकबा निजी भूमि 2.31 हेक्टर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2674-भू-अर्जन-2012-रा. प्र. क्र. अ-2011-2012—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ  
(ख) तहसील—थांदला  
(ग) ग्राम—सेमलिया (तालाब ढोलखरा नहर निर्माण)  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.14 हे. निजी भूमि.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18	0.47
22/1	0.03
22/2	0.04
22/3	0.03
23	0.31
25	0.18
30	0.25
43	0.24
55	0.12
56	0.21
57	0.09
62	0.27
63	0.12
65	0.03
73	0.06
75	0.03
76	0.03
77	0.09
79	0.21
81	0.20
97	0.30
175	0.10

(1)	(2)
176	0.04
177	0.06
179	0.15
199	0.06
210	0.12
211	0.08
215	0.12
218	0.10
योग . . .	4.14

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ढोलखरा तालाब की नहर निर्माण होने से ग्राम सेमलिया का कुल रकबा निजी भूमि 4.14 हेक्टर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**जयश्री क्रियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 23 जुलाई 2012

प्र. क्र. 15-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-6355.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल  
(ख) तहसील—मुलताई  
(ग) नगर/ग्राम—रायसेड़ा  
(घ) पटवारी हल्का नं. 17  
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—2.459 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
266/3	0.174
263/1	0.071

(1)	(2)
263/3	0.071
263/4	0.071
263/5	0.074
260/3	0.069
259/1	0.056
257/2	0.120
258	0.061
326/4	0.259
326/2	0.283
326/1	0.252
324/1	0.198
261/3	0.118
260/4	0.072
259/3	0.056
326/3	0.211
256/1	0.243

योग . . . 2.459

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बार्डर चेकपोस्ट विस्तारीकरण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभाग भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) सहायक महाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, सदर बैतूल जिला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-6356.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल  
(ख) तहसील—मुलताई

(ग) नगर/ग्राम—सोमलापूर	(घ) पटवारी हल्का नम्बर—17	(ङ) लगभग क्षेत्रफल—0.740 हेक्टर.
खसरा	रकबा	
नम्बर	(हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
157/1	0.364	
162/1	0.182	
163/1	0.194	
योग . . .	<u>0.740</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बार्डर चेकपोस्ट विस्तारीकरण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) सहायक महाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, सदर बैतूल जिला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**बी. चंद्रशेखर**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
हरदा, दिनांक 25 जुलाई 2012

क्र. 347-भू-अर्जन-1-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—हरदा  
(ख) तहसील—खिरकिया  
(ग) नगर/ग्राम—कडौलाराघौ  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.405 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
238/6	0.142
75/13	0.142
75/17	0.121
योग . . .	<u>0.405</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इमलीढाना जलाशय 2 आर. 4 एल. माईनर के लिये.	(1)	(2)		
	213/2/2	0.040		
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.	213/11	0.050		
	122/1	0.012		
	121	0.060		
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	124	0.040		
सुदाम खांडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	129	0.048		
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	130	0.012		
	131	0.012		
	105	0.072		
अनूपपुर, दिनांक 25 जुलाई 2012	107	0.040		
क्र. 5314-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	106/1	0.020		
	137/1क2	0.180		
	137/2	0.016		
	137/1क1/2	0.020		
	55	0.060		
अनुसूची	54/1	0.050		
(1) भूमि का वर्णन—	141/1	0.060		
(क) जिला—अनूपपुर	141/2	0.060		
(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़	141/3	0.060		
(ग) ग्राम—करपा, लोहारिनटोला	141/4	0.060		
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.237 हेक्टर, 0.427 हेक्टर.	428	0.060		
खसरा	अर्जित रकबा			
नम्बर	(हेक्टेयर में)			
(1)	(2)			
ग्राम—करपा				
	453/3	0.082		
207/4	0.180	452/2	0.120	
207/2	0.150	438/2	0.048	
207/1	0.060	451/1	0.101	
213/1	0.150	451/2	0.068	
213/1ख	0.016	450	0.036	
213/9	0.040	345/2	0.036	
213/8	0.030	447/1ख	0.060	
213/6	0.060	344/2	0.060	
213/7	0.060	349/2	0.066	
213/2/1	0.080	349/1	0.066	

(1)	(2)
352/1	0.101
334/3	0.024
337/2	0.084
336/2	0.101
331/2/1	0.072
331/2/2	0.072
योग . .	<u>3.237</u>

**ग्राम—लोहारिनटोला**

148/2	0.152
150/1ख	0.080
109/1	0.115
150/ख	0.080
योग . .	<u>0.427</u>

अर्जित किया जाने वाला कुल रकबा—(0.427+ 3.237)=  
3.664 हेक्टेयर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन:—करपा जलाशय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पुष्पराजगढ़ जिला—अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**जे. के. जैन**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 26 जुलाई 2012

क्र. 1052 प्र. क्र. 31-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-6355.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन्

1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—गुलाटी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.007 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
182	0.330
183/2	0.800
185/1, 185/2, 185/3,	0.030
185/4	
185/6	0.070
186/1	0.240
188/1, 188/2, 188/3	0.897
189/2/2	0.630
191/2	0.730
194/1/1, 194/1/2/1	0.520
194/1/2/2, 194/2	0.670
195/1ख	0.180
359/3	0.836
360	0.020
361/1	0.360
366/2	0.030
367/2/1	0.740
367/3/1	0.230
367/2/2	0.680
368/2	0.270
370/2, 370/3	0.580
370/1	0.110
371/1/3	0.100
371/1/4	0.314
381	0.190
383	0.450
योग . .	<u>10.007</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (गुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.



क्र. 1046-प्र. क्र. 34-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
490	0.270
491	0.010
734/6	0.650
731/1	0.060
492	0.050
477/2/2,	0.240
478/1	0.052
680/3	0.290
679/4/2	0.110
683/1	0.170
683/2/1/क/1	2.270
683/2/1/क/2	0.500
684/2/1	0.050
687,	0.400
690/1/1	0.042
688/2	0.560
689	0.031
690/1/2/2	0.140
690/1/2/1	0.050
690/1/2/3	0.230
662/782/1	1.400
690/1/2/4	0.200
690/2/1	0.140
734/1/1	0.150
732	0.180
690/2/2	0.020
691	0.940
692/1	0.010
667/2/1	0.110
734/2/1	1.045
734/3/2	0.530
योग . . .	10.900

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (गुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 जुलाई 2012

क्र. 5321-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा  
(ग) नगर/ग्राम—गंगई, प. ह.नं.-24, ब.नं.-120, रा. नि. मंडल-छिन्दवाड़ा-1.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.230 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
49/3	0.230
योग . . .	0.230

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—गंगई जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में  
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.  
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.  
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, सालीढाना सर्वेक्षण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएँ

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 18 जुलाई 2012

Jabalpur, the 7th July 2012

No. D-3381.—In exercise of the powers conferred by the clause (2) of the Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Acting Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur makes the following amendments in the High Court of Madhya Pradesh Officers and Employees Recruitment and Conditions of Service (Classification Control, Appeal & Conduct) Rules, 1996 with immediate effect.

### AMENDMENT

Sub-rule (i) of Rule 5 of the Rules, 1996 is amended as under :—

Rule 5(i) QUALIFICATIONS: Daftaries/Jamadars/Peons and Farras/Cook, Sweeper and Watchman employees.

The word 'V' is substituted by word 'VIII'

The rule 5(1) now be read as under :—

"Must have passed class VIII from any Recognized Board".

जबलपुर, दिनांक 10 जुलाई 2012

क्र. 711-गोपनीय-2012-दो-3-45-2012.—सुश्री अनु चन्द्रावत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जबलपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, जबलपुर का विवाह श्री यशपाल सिंह के साथ होने के फलस्वरूप, उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम "सुश्री अनु चन्द्रावत" के स्थान पर "श्रीमती अनु सिंह" पति "श्री यशपाल सिंह" परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

जबलपुर, दिनांक 12 जुलाई 2012

क्र. 724-गोपनीय-2012-दो-3-47-2012.—श्रीमती बबीता होरा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मनासा, जिला नीमच का विवाह श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा के साथ होने के फलस्वरूप, उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम "कुमारी बबीता होरा" के स्थान पर "श्रीमती बबीता होरा शर्मा" पति "श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा" परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

क्र. 736-गोपनीय-2012-दो-3-1-2012 (भाग-ए).—न्यायिक अधिकारी जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "Training Programme on-Gram Nyayalayas Act" जो दिनांक 21 अगस्त 2012 से 25 अगस्त 2012 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 21 अगस्त 2012 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 21 अगस्त 2012 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित हों.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पैंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित हों. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित हों.
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषयों पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2628679 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें.
5. टी.ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
6. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

7. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक-1 के मुख्य द्वार पर वाहन की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी, जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.
8. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.
9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
**सुभाष काकडे**, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. D-3550-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 27 अप्रैल से 1 मई 2012 तक, पांच दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 8 मई 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. C-5698-दो-2-12-2002.—श्री एच. के. दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 28 अप्रैल से 2 मई 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-5700-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 22 से 25 मई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके, चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-5704-दो-2-109-2006.—श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 11 से 16 जून 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 जून 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 17 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-5706-दो-2-37-2011.—श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 16 जून 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-5708-दो-2-15-2008.—श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 16 जून 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-5710-दो-2-42-2010.—श्री एस. एन. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटंब न्यायालय, रीवा को दिनांक 1 से 15 जून 2012 तक, पन्द्रह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 16 से 23 जून 2012 तक, आठ दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस.एन. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटंब न्यायालय, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस.एन. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-5712-दो-2-49-2007.—श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटंब न्यायालय, इंदौर को पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 21 मई से 1 जून 2012 तक, बारह दिन के अनुक्रम में दिनांक 14 से 20 मई 2012 तक, सात दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 एवं 13 मई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवैतनिक अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्तों की पात्रता नहीं होगी.

क्र. C-5722-दो-2-50-2010.—श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 16 जून 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-5723-दो-2-51-2010.—श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 30 जून से 5 जुलाई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-5724-दो-2-5-2011.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 15 से 16 जून 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-5725-दो-2-22-2000.—श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 28 से 30 जून 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जुलाई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-5726-दो-2-41-2010.—श्री राजीव शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 21 से 22 मई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. 728-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

#### सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1.	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 3, विद्युत अधिनियम, 2003, ग्वालियर.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2012

क्र. 732-गोपनीय-2012-दो-3-1-2012 (भाग-ए).— उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री प्रसन्न सिंह बहरावत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, राजगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजगढ़ को उनके वर्तमान पद के साथ-साथ उन्हें रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट एवं सचिव, विधिक साक्षरता के कार्य संपादन हेतु आगामी आदेश पर्यन्त पदांकित करता है।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 9 जुलाई 2012

क्र. D-3412-दो-2-31-2010.—श्रीमती गिरिबाला सिंह, रजिस्ट्रार (न्यायिक-1), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 12 से 19 जुलाई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती गिरिबाला सिंह, रजिस्ट्रार (न्यायिक-1), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती गिरिबाला सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो रजिस्ट्रार (न्यायिक-1), के पद पर कार्यरत रहती।

जबलपुर, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. C-5695-दो-2-33-2012.—श्री राजकुमार यादव, ओ.एस.डी., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 16 से 20 जुलाई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 जुलाई 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 जुलाई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजकुमार यादव, ओ.एस.डी., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजकुमार यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 12 जुलाई 2012

क्र. डी-3511-तीन-10-42-75 (होशंगाबाद-इटारसी).—मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19

सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्वारा, निर्देशित करता है कि श्री डॉ. ओमप्रकाश तिवारी, “प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, होशंगाबाद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश”, होशंगाबाद अपने घोषित कार्यस्थल होशंगाबाद के अतिरिक्त इटारसी में भी प्रत्येक माह “एक सप्ताह” बैठक करेंगे।

No. D-3511-III-10-42-75 (Hoshangabad-Itarsi).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Dr. Omprakash Tiwari, Additional Judge to Ist Additional District & Sessions Judge, Hoshangabad in addition to his place of sitting declared at Hoshangabad shall also sit at Itarsi for one week.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 6 जुलाई 2012

क्र. 213-स्था.सेट-2012.—(1) श्री नितिन धगत, अनुभाग अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर को दिनांक 11 से 20 जुलाई 2012 तक, कुल दस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों में प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री धगत को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे।

(3) उक्त अवकाश से लौटने पर श्री धगत को अस्थायी रूप से मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर में आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धगत अवकाश पर नहीं जाते तो अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्य करते रहते। अतः अवधि दिनांक 11 से 20 जुलाई 2012 तक मूलभूत नियम 26(ब)(2) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेंगी।

(माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकृत)

ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.